जिला आपदा प्रबन्धन योजना
जनपद–सुलतानपुर

(ज्वाला प्रसाद तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
सुलतानपुर।

(अदिति सिंह)
जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

अनुक्रमणिका

क्रं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद सुलतानपुर का विवरण एक दृष्टि में	1–3
2	प्रस्तावना	4–5
3	जनपद सुलतानपुर एक नजर में	6–7
4	आपदा–इतिहास एवं सम्भावना	8–9
5	आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यों की भूमिका	10–11
6	तैयारी सटीक प्रतिक्रिया	12–13
7	रासायनिक हथियारों–पदार्थों से सम्बन्धित आपदा	14–19
8	परमाणु–आपदा	20–27
9	जैविक–आपदा प्रबन्धन	28–34
10	अग्निकाण्ड	35–36
11	भूकम्प–आपदा	37–44
12	चक्रवात	45–46
13	सूखा–आपदा	47–53
14	बाढ़	54–61
15	आकशीय बिजली	62
16	ओलावृष्टि/शीतलहर	63
17	चिकित्सीय–आपदा	64–67
18	मानवजनित आपदा	68–70
19	जनपद सुलतानपुर में गैस एजेन्सियों का विवरण	71
20	जनपद सुलतानपुर में पेट्रोल पम्पों का विवरण	72–73
21	जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण	74
22	जनपद में स्थित नर्सिंग होम का विवरण	75–78
23	जनपद सुलतानपुर के महत्वपूर्ण अधिकारियों के दूरभाष नम्बर	79–81
24	जनपद सुलतानपुर का मानचित्र	82

जनपद एक दृष्टि में

क्रं0	विषय	संख्या
1	जनपद में कुल तहसीलों की संख्या	04
2	जनपद में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	1741
3	आबाद ग्राम	1713
4	गैर आबाद ग्राम	28
5	चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम	21
6	जनपद का कुल क्षेत्रफल	266366हे0
7	कृषिक क्षेत्रफल	176840हे0
8	अकृषिक क्षेत्रफल	89526हे0
9	सिचिंत क्षेत्रफल	146485हे0
10	असिचिंत क्षेत्रफल	30355हे0
11	जनपद की वार्षिक मालगुजारी	1709956
12	जनपद की कुल जनसंख्या(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)	2425803
13	ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)	2286998
14	नगर क्षेत्र की जनसंख्या(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)	138805
15	परगनों की संख्या	05
16	विकास खण्डों की संख्या	14
17	न्याय पंचायतों की संख्या	114
18	ग्राम सभाओं की संख्या	805
19	थानों की संख्या	17
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	59
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	12
22	नगर पालिका परिषद	01
23	नगर क्षेत्र पंचायत	03
24	निरीक्षण गृह	12
25	नायब तहसीलदारों की संख्या	10
26	राजस्व निरीक्षक के क्षेत्रों की संख्या	23
27	लेखपाल क्षेत्रों की संख्या	514

क्रं0	विषय	संख्या
28	संग्रह अमीनों की संख्या	115
29	रेलवे लाइन की लम्बाई	105 किमी0
30	रेलवे स्टेशन(हाल्ट सहित)	11
31	नहर टेलों की संख्या	196
32	नहर की लम्बाई	1134 किमी0
33	राजकीय नलकूपों की संख्या	447
34	मुख्य सड़कें	08
35	राजकीय इण्टर कालेज	04
36	प्राथमिक विद्यायलों की संख्या	1557
37	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	676
38	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	219
39	महाविद्यालयों की संख्या	33
40	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	10
41	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	25
42	पशु चिकित्सालय	29
43	पशु सेवा केन्द्र	44
44	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	74
45	आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या	24
46	यूनानी चिकित्सालयों की संख्या	04
47	एलोपैथिक चिकित्सा केन्द्र	59
48	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	33
49	परिवार एवं मातृ शिशु उप कल्याण केन्द्र	212
50	क्षयरोग चिकित्सालय	01
51	कुष्ठ चिकित्सालय	01
52	पक्के कुओं की संख्या	300
53	तालाबों की संख्या	10930
54	विद्युत उपकेन्द्र	20
55	कृषि बीज भण्डार	13
56	सिनेमा गृह	04

क्रं0	विषय	संख्या
57	तापमान उच्चतम	47 डि0से0
58	तापमान न्यूनतम	3.3 डि0से0
59	जनपद की औसत वर्षा	1000.2 मिमी0
60	सस्ते गल्ले की दुकान(ग्रामीण)	876
61	सस्ते गल्ले की दुकान(नगरीय)	61
62	शीत भण्डार	03
63	बायो गैस संयंत्र	5249

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

–: प्रस्तावना :–

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है, जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में आपदा को दैवी, मानवजनित, किसी लापरवाही से हुई, ऐसी बड़ी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यापक जन–धन की हानि, पर्यावरण की क्षति राष्ट्रीय अहित शामिल है। परम्परागत रूप से दैवी आपदाओं में बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि व भूकम्प आदि आते है,जिसमें पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक मानवजनित दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो सकती है, जिसका असर दैवी आपदाओं के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में दैवी आपदाओं के साथ–साथ मानवजनित कारकों को भी शामिल किया गया है। आपदा प्रबन्धन के दौरान आपदा पूर्व की तैयारी एवं पुर्नवास का राष्ट्रीय नेटवर्क, राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को यथासम्भव रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना व लोगों को आवश्यक मदद पहुंचाकर उन्हें आपदा से उबारना होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर बनायी गयी नीतियों का अनुपालन, अनुश्रवण व जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं में बेहतर तालमेल स्थापित करना है ताकि किसी आपदा की दशा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों का बेहतर संचालन करना सम्भव हो सकें।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल 7 सदस्य हैः–

क्रमांक	नामित अधिकारी	पदेन
1–	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त	अध्यक्ष
2–	जिला पंचायत अध्यक्ष	सहअध्यक्ष
3–	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4–	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5–	अपर जिलाधिकारी0(वि0/रा0)	सदस्य
6–	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0(प्रान्तीय खण्ड)	सदस्य
7–	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, शा0सहा0खण्ड–16	सदस्य

जनपद सुलतानपुर में परम्परागत रूप से बाढ़, सूखा की अलग–अलग प्रबन्ध योजनाएं बनती रही है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के बाद उसकी देखरेख में एकीकृत प्रबन्ध योजना बनाई जा रही है।

सुलतानपुर की आपदा प्रबन्ध योजना की इस पुस्तिका को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में ऐसे विषयों को रखा गया है जो विभिन्न आपदाओं की तैयारी एवं जोखिम के न्यूनीकरण से सम्बन्धित है।द्वितीय भाग के अन्तर्गत आपदाओं के प्रबन्धन,क्रियान्वयन के फीडबैक, रिपोर्टिंग व बचाव से सम्बन्धित व्यवस्था की चर्चा विस्तार से की गयी है। तृतीय भाग में महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर जिले के नक्शें से सम्बन्धित है।

जनपद सुलतानपुर–एक नजर में

जनपद सुलतानपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आता है, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 140 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर से फैजाबाद, उत्तर–पूर्व में अम्बेडकरनगर, पूर्व में आजमगढ़, पूर्व–दक्षिण में जौनपुर, दक्षिण में प्रतापगढ़ और दक्षिण–पश्चिम में अमेठी को स्पर्श करती है। पूर्व में इस जिले का नाम कुशभवनपुर था जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुशभवनपुर से बदलकर सुलतानपुर कर दिया। यह जनपद गोमती नदी के दोनों तट पर बसा है। सुलतानपुर शहर पूर्व में गोमती नदी के बायीं ओर स्थित था किन्तु सन् 1857 के स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ब्रिटीश सेनाओं ने उसे नष्ट कर दिया बाद में यह शहर फिर से आबाद होने लगा और गोमती नदी के दाहिनी ओर बढ़ने लगा। सुलतानपुर जिला गोमती नदी के उत्तर में $25^0$59′ तथा $26^0$40′ अक्षांश और पूरब में $81^0$32′ तथा $82^0$41′ देशान्तर पर स्थित है। जनपद सुलतानपुर में 04 तहसीलों (तहसील सदर, कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर) का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 266366 हेक्टेयर है। इसमें 176840 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है तथा अकृषिक क्षेत्रफल 89526 हेक्टेयर है। कृषिक क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल कुल 146485 हे0 है तथा जनपद का असिंचित क्षेत्रफल 30355 हे0 है। जनपद में 04 तहसीलें, 14 विकास खण्ड, 114 न्याय पंचायतें, 805 ग्राम पंचायतें एवं 17 थाने है तथा 01 लोकसभा क्षेत्र, 05 विधान सभा क्षेत्र है। जनपद में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द 12 हैं व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 59, नगर पालिका 01 व नगर पंचायत 03 हैं तथा 12 निरीक्षण गृह है। जनपद में कुल 1713 आबाद ग्राम, 28 गैर चिरागी गांव भी है। सामान्यतः खरीफ तथा रबी में 267941 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है। जनपद में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।

जनपद सुलतानपुर का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 266366 हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 176840 हेक्टेयर है।रबी में बोया गया क्षेत्रफल 124110 हेक्टेयर, खरीफ में 111431 हेक्टेयर जायद में 15081 हेक्टेयर है। जनपद में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 146485 हेक्टेयर है। जिसमें नहरों द्वारा सिंचित 37023 राजकीय नलकूपों द्वारा 4993, व्यक्तिगत नलकूपों द्वारा 104396 एवं अन्य स्रोतों द्वारा 73 हेक्टेयर है। सिंचाई संसाधनों में नहरों की लम्बाई 1134 कि0मी0, राजकीय नलकूपों की संख्या 438, निजी नलकूपों की संख्या व, बोरिंग पर लगे पम्पसेट की संख्या 81415 है, तथा 300 पक्के कुएं हैं।

जनपद में वर्षा का औसतन 1000.2 मि0मी0 है। मौसम परिवर्तन के साथ यहां का तापमान बदलता भी रहता है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार यहां का औसतन उच्चतम तापमान 47^0 सेल्सियस तथा न्यूनतम 2^0 सेल्सियस तक पहुंचा है। दक्षिण–पश्चिम मानसून के प्रभाव से जाड़ों में यदा कदा आसपान में घने बादल छा जाते है लेकिन अन्य मौसमों में सामान्यतः आसमान साफ रहा करता है। भूकम्प मानचित्र में जनपद जोन तीन के अन्तर्गत आता है। यहां पर मुख्य रूप से चार मौसम होते हैं। नवम्बर मध्य से लेकर फरवरी तक जाड़े का मौसम, मार्च से जून मध्य तक गर्मी, दक्षिण–पश्चिम मानसून का आगमन जून के अन्त तक होता है जबकि यह सितम्बर तक रहता है, अक्टूबर से नवम्बर मध्य से बीच उत्तर मानसून का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में काफी गर्मी पड़ती है जबकि जाड़ों में बहुत सर्दी न पड़ने के कारण मौसम सुहावना रहा करता है। दक्षिण–पश्चिम

मानसून आने के समय यहां की आर्द्रता बढ़ जाती है तथा यह 75–85 प्रतिशत के बीच हो जाती है। गर्मियों में आर्द्रता 30 प्रतिशत या इसके भी नीचे जा पहुंचती है। सुलतानपुर का वायु वेग गर्मियों तथा बरसात में बढ़ जाता है तथा बरसात के बाद यह सुस्त पड़ने लगता है।

गोमती नदी सुलतानपुर की प्रमुख नदी है। जिले की जमीन का सामान्य ढ़ाल उत्तर–पश्चिम की ओर से दक्षिण–पूर्व की ओर है। गोमती नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। जिला परिषद की रिकॉर्ड के अनुसार सुलतानपुर में गोमती नदी के किनारे कुल 27 घाट है।सुलतानपुर जिले में शत–प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा हिन्दी भाषा बोली और समझी जाती है। सामान्य तौर पर पूरे जनपद में और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल में अवधी, जनता के बोलचाल की भाषा है। यहां पर मुख्य रूप से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते है। हिन्दुओं की लगभग सभी आम जातियां यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य तथा अनुसूचित जातियों के लोग रहते है। मुसलमानों में भी सिया तथा सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोग रहते है। जनपद सुलतानपुर के निवासियों का मुख्य रूप से जीविकोपार्जन कृषि है, यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। रवी की मुख्य फसल गेहूं तथा खरीफ की मुख्य फसल धान है। उद्योग धन्धों की संख्या नगण्य होने के कारण आर्थिक दृष्टि से जिले की गणना पिछड़े जिलों में होती है।

वर्ष 2011 में सम्पन्न जनगणना के अनन्तिम आंकड़ें के अनुसार जनपद की स्थिति निम्न प्रकार है–

जनसंख्या

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
ग्रामीण	2286998	1154293	1132698	07
नगरीय	138805	72550	66255	–
योग	2425803	2381136	1198953	07

साक्षरता

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
ग्रामीण	1309144	757828	551311	05
नगरीय	455548	265124	190424	–
योग	1764692	1022952	741735	05

भाग–1

अध्याय–1

–: आपदा– इतिहास एवं सम्भावना :–

जनपद सुलतानपुर में बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, आंधी–तूफान, ओलावृष्टि, शीतलहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदाएं व अज्ञानतावश चिकित्सीय आपदा व रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि भी आती रही है।

1–अग्निकाण्ड

जनपद में अग्निकाण्ड से प्रतिवर्ष व्यापक नुकसान होता है। अग्निकाण्ड की घटनाएं प्रायः फरवरी से जून तक के महीने में होती है। वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक घटनाएं अग्निकाण्ड से हुई थी, जिसमें 05 मनुष्य एवं 96 पशुओं की मृत्यु हुई थी तथा 1486 मकान क्षतिग्रस्त हुये थे। अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को 61.75 लाख रूपया राहत सहायता वितरित किया गया था।

2–भूकम्प एवं साइक्लोन (चक्रवात)

भूकम्प का कोई इतिहास इस जनपद का नहीं रहा है। भूकम्प की दृष्टि से जनपद सुलतानपुर जोन–3 में आता है, जो मध्यम दर्जे की खतरनाक स्थिति है, किन्तु जनपद जोन–4 के आंशिक नजदीक है, जिससे भूकम्प की दृष्टि से जिले की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साइक्लोन (चक्रवात) की दृष्टि से जनपद में कोई विशेष संवेदनशीलता नहीं पायी जाती है।

3–सूखा

अनावृष्टि के कारण वर्ष 2009–10 जनपद सूखाग्रस्त घोषित हुआ है। सूखे से खरीफ की फसल को आंशिक क्षति पहुंचने का इतिहास जनपद का रहा है। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थिति नहीं आयी है, जिसमें किसी गांव की आबादी या पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा हो अथवा टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ी हो। भूखमरी की स्थिति भी अब तक नहीं पैदा हुई है।

4–बाढ़ (आकाशीय विद्युत)

गोमती नदी तहसील सदर के मध्य भाग से निकलती हुयी तहसील जयसिंहपुर, लम्भुआ व कादीपुर के बाद जनपद जौनपुर की सीमा में प्रवेश करती है। जनपद में वर्ष 1955 एवं 1971 में पूर्ण रूप से बाढ़ आयी थी जिसके अत्यधिक दबाव एवं फैलाव के कारण धन–जन एवं फसल के साथ काफी आबादी भी प्रभावित हुई थी। वर्ष 1985 व 2008 में आंशिक रूप से बाढ़ आयी थी जिसमें नदी के किनारे के गांव की फसल एवं आंशिक आबादी प्रभावित हुई थी।

5–ओलावृष्टि एवं शीतलहरी

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा–कदा धन एवं जन की हानि होती रही है। आंधी–तूफान से भी जन–धन की हानि हुई है, किन्तु ओलावृष्टि, शीतलहरी, आंधी–तूफान से किसी बड़ी घटना का इतिहास इस जनपद का नहीं है।

6–चिकित्सीय आपदा

शिक्षा व अज्ञानता के अभाव में ग्रामीण अंचल के लोग विषैली जानवरों जैसे–सांप, बिच्छू आदि के काट लेने पर झाड़–फूंक व मौखिक मानसिक बीमारियों में ओझाई आदि के चक्कर में पड़कर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का लाभ नहीं उठाते और अपनी जान तक हाथ से धो बैठते है। उन्हें जागरूक करना भी आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत लिया गया है।

7–मानव जनित आपदाओं की आशंका

जनपद सुलतानपुर का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नहीं रहा है। वर्तमान कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है, जिससे किसी प्रकार के सम्भावित खतरे से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकें।

अध्याय–2

–: आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यों की भूमिका :–

आपदाएं व्यापक पैमानें पर जन–धन को क्षति पहुंचाती है और इसका सीधा असरजिले के विकास कार्यों पर पड़ता है। विकास की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिए विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा–प्रबन्धन से जोड़ना है।ताकि क्षति कम से कम हो अगली क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सके। पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबन्धन पर विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं से आपदा प्रबन्धन को जोड़ना है।

जिले स्तर पर बाढ़, सूखा, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, निर्माण आदि क्षेत्रों में गतिमान कई योजनाओं को विकास योजनाओं से सम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुड़े विभागों, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत् है–

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदूषण–नियंत्रण, निर्माण आदि की निगरानी।	विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय।
मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे–रोजगार गारण्टी योजना।	सूखा, बाढ़, भूकम्प की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन।
अधिशासी अभियन्ता जल निगम	ग्रामीण पेयजल योजना।	सूखा, बाढ़, भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाइप लाइनों का रख रखाव आदि।
जिला पंचायत राज अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।	सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता सुनिश्चित कराना।
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना आदि अन्य विभागीय योजनाएं।	1.विद्यालयों को भूकम्परोधी बनाना। 2.विद्यालयों का रख रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सकें। 3.छात्रों एवं शिक्षकों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन के प्रति सम्बेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा करना।
जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	बाढ़ के समय नष्ट हुई फसलों की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धता एवं जागरूकता। इसी प्रकार सूखे की स्थिति में कम पानी वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता एवं जागरूकता।

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम।	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं मृत पशुओं के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम।	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं शवों के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
आवास एवं नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	विल्डिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन, भूकम्परोधी भवनों के निर्माण सम्बन्धी विधियों का अनुपालन।
अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड (शा0सहा0खण्ड–16)	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	डूब क्षेत्र का पर्यवेक्षण, बांधों का समुचित रख रखाव एवं सुरक्षा।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/ योजनाएं।	सूखे के समय नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनश्चित करना।

संक्षेप में कहा जाय तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से सम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखे तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारणा सफल होगी। दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से होने वाली क्षति भी कम होगी।

अध्याय–3

–: तैयारी एवं सटीक प्रतिक्रिया :–

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है–

1–उपलब्ध संसाधन।

2–समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन।

3–प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास।

4–Encident Command System (इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम)।

5–आपात कालीन केन्द्र।

1.उपलब्ध संसाधनः– जनपद में कुल लगभग 20000 सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत है। सिविल पुलिस, होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यों हेतु लगाये जा सकते हैं। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 के स्वयं सेवकों की सेवायें भी ली जा सकती हैं।

2.समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धनः– सामुदायिक योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियों और समुदाय की असुरक्षा कम की जाय और आपदाओं के दुष्प्रभाव को सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ाई जायं। अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। क्योंकि 'जवाबी कार्यवाही' करने में वह सबसे पहले आगे आते है। आपदा की हालत में वहीं लोग सफल एवं उपयोगी होते हैं। जिनके पास चिकित्सीय या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण होता है। आपदा से पहले तथा उसके पश्चात् के कुछ घण्टे लोगों के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसे हालात में समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिशा में समुदाय एक विशेष भूमिका निभाते हैं। समुदाय की शिक्षा और सहयोग के बिना आपदा प्रबन्ध की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकेगी।

इस बाढ़ प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए ग्राम स्तर तक की कार्य योजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गयी है।

3.प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यासः– इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया हैः–

समग्र प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमः–

स्तर	मुख्य आयोजक	प्रतिभागियों का विवरण	कार्यक्रम का विवरण
जिला	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	1.प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम दो भागों में चलाया जायेगा। प्रथम भाग में आवश्यक

तहसील	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	सूचनायें दी जायेगी। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास (Mock Drill) करके व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। 2.सभी स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया के दायित्वों पर भी चर्चा की जायेगी।
ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	
ग्राम	लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य आदि।	

4.Encident Command System (इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम):– किसी दुर्घटना की स्थिति में अफरा–तफरी से बचने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियंत्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट हैं। भिन्न आपदाओं की प्रकृति के हिसाब से भिन्न इन्सीडेण्ट कमाण्डर बनाये गये हैं। मानव जनित आपदाओं जैसे जैव, परमाणु या रसायन हमले की स्थिति में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेण्ट कमाण्डर हैं। बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओं के लिए अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) इन्सीडेण्ट कमाण्डर है।

इन्सीडेण्ट कमाण्डर के मुख्य कार्य

1–आपात स्थिति में संचार की समन्वित व्यवस्था।

2–त्वरित राहत/बचाव एवं खोज बलों को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

3–विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन।

4–उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

5.आपात कालीन केन्द्रः– राजस्व कन्ट्रोल रूम से भिन्न पर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओं/उपकरणों से युक्त एक आपात कालीन केन्द्र कलेक्ट्रेट सुलतानपुर में स्थापित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी इसके प्रभारी होंगे। सामान्य दिनों में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों से समन्वय रखेगा। यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीय करण करेगा तथा सर्व सम्बन्धित को सूचित भी करेगा। शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्टों को संकलित एवं तैयार करने का कार्य भी करेगा।

भाग–2

आपदाओं का प्रबन्धन, क्रियान्वयन व बचाव आदि

अध्याय–1

–: रासायनिक हथियारों/पदार्थों से सम्बन्धित आपदा :–

अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ/जहरीली गैसें, द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाएं पैदा कर सकती हैं, जो मनुष्यों, पशुओं, फसलों आदि के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश जलन, आन्तरिक अथवा वाह्य चोट अथवा अपंगता पैदा कर सकते हैं। हवा के माध्यम से फैलकर ये आँख, फेफड़ा, चमड़ी आदि पर घातक असर डालते हैं। संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाएं दुर्घटनाबश भी हो सकती है, और आसान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार के रसायनों का वर्गीकरण, उपयोग एवं विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है।

1– उपयोग के आधार कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिए हैं, इन्हें केमिकल वारफेयर CW कहा जाता है। Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), VX:Sulfur Mustar (HD), Lewisite (L), Hydrogen Cyanide (AC), Chlorine आदि इसके उदाहरण हैं।

2– दोहरे उपयोग वाले कुछ रसायनों का प्रयोग सैन्य तथा औद्योगिक इकाइयां में किया जाता है। Chloroethanol, Ammonium Bifluoride, Arsenic Trichloride, Benzilic Acid आदि इसके उदाहरण हैं।

3– कई औद्योगिक रसायन भी जहरीले होते हैं। Ammonia, Arsine, Chlorine, Sulfur, Dioxide, Hydrogen Bromide आदि इसके उदाहरण हैं।

4– कीटनाशकों (Pesticide) जैसे कुछ रसायनों का उपयोग कृषि कार्यों में भी होता है। Herbicides सीधे फसलों को क्षति पहुंचाते हैं।

सुलतानपुर में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नहीं हैं। भविष्य में पेट्रोल टैंकर, एल0पी0जी0 टैंकर आदि का उपयोग आतंकवादी भयानक आपदाएं फैलाने के लिए कर सकते हैं।

सम्भावित स्थल

1– भीड़–भाड़ वाले इलाके।

2– टेलीफोन ऐक्सचेंज सुलतानपुर, सिविल लाइन।

3– पुलिस लाइन, सुलतानपुर।

4– 400 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र, सुलतानपुर।

5– मण्डी समिति, सुलतानपुर।

6– रेलवे स्टेशन, सुलतानपुर।

7– किसान सहकारी चीनी मिल, सुलतानपुर।

8– केन्द्रीय विद्यालय, सुलतानपुर।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1 **जांच दलः–** इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।

2 **विसंक्रमण दलः–** यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।

3 **बचाव दलः–** यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुँचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।

4 **चिकित्सा दलः–** दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग करेगा।

5 **सुरक्षा अधिकारीः–** सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखें। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे–जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाहन, मानव श्रम।

क्या करें–क्या न करें

क्या करें :–

1 प्रभावित क्षेत्र खाली करें तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 05362–220189 व टोलफ्री नम्बर 1077 पर तथा पुलिस/अस्पताल को तत्काल सूचित करें।

2 जहरीली गैसों के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पड़े तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढ़ाचें के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखें, एयरकंडीसनर बन्द कर दें।

3 रेडियों, टी0वी0 की घोषणाएं सूने और जब कहा जाय तब बाहर निकलें।

4 बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करें एवं कपड़े प्लास्टिक के बैंक में अलग रख दें।

5 यदि खुलें में हो तो मुंह व नाक गिले कपड़े से बन्द रखें।

6 संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थों से दूर रहें।

7 100 मीटर के दायरे को बन्द किया जाय।

8 हवा की दिशा में 500 मीटर तक तत्काल खाली किया जाय।

9 पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाय।

10 Three Colour Detector Paper (TCD) Paper और RVB-Residual Vapeur Detection Kit का प्रयोग कर Chemical agent की खोज करना।

11 Chemical ajent monitor AP2C/CAM का प्रयोग कर Nerve/Glister agent का पता करना यदि Nerve agent है तो विष रोधी दवाओं हेतु Autojet Injectors (AJI) का प्रयोग करना। यदि Glister agent है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु PDK-Personal Decontamination Kit का प्रयोग करना।

12 स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) आधारित CAM का प्रयोग कर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हींकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मॉनिटर AP2C का प्रयोग।

13 विसंक्रामक सूट पहन कर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण और विसंक्रमण Salution से करना।

14 प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए Casulty बैग का प्रयोग करना।

15 व्यक्तिगत सुरक्षा कवच किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत् पहनाया एवं उतारा जाय।

पहनने का क्रम	**उतारने का क्रम**
1. IPG-Individual Protective	1.विसंक्रमण किट से सफाई
2.Shoes	2.Shoes
3.सर्जिकल और व्यूटाइल रबर दस्ताना	3.व्यूटाइल रबर दस्ताना
4.मॉस्क एवं थैनिस्टर	4.IPG
	5.सर्जिकल दस्ताना
	6.थैनिस्टर व फेस मॉस्क

क्या न करें :–

1– किसी द्रव को न छुएं।

2– स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाएं।

3– हवा के अनुकूल दिशा में न जाएं।

4– अफवाह न फैलाएं।

5– बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारें जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जायें।

6– किसी भी संक्रमित वस्तु को न छुएं। इन्हें सील प्लास्टिक बैंक में ही रखें।

7– जब तक कहा न जाएं अपने शरण स्थल से बाहर न निकलें।

8– नंगें पैर न निकलें।

9– अनावश्यक टेलीफोन न करें।

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवाओं शोधक/विष नाशाक पदार्थों/आवश्यक उपकरणों एवं आपातकालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची अनुलग्नक–2 पर भाग–4 में लगायी गयी है।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए Standard Operation System (SOP) इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण :–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जन सहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कार्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेगा।	युद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7.	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसी किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी.की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0 जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0 जी0 उपलब्ध कराना।
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–2

–: परमाणु आपदा :–

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा आ सकती है। आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों, फसलों, खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्घटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लाण्ट पर आ सकती है या रेडियोधर्मी पदार्थों के परिवहन के दौरान हो सकती है। इस क्षेत्र में देश की संस्थाAtomic Energy Regulatory Board (AERB)है, जो Atomic Energy Act 1962 के तहत मुख्य नियंत्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण परिवहन, प्लाण्ट आदि पर रहता हैं। मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदिकाल से प्रकृति के श्रोतों से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है। भारत के केरल के तटीय इलाकों चीन, ब्राजील, ईरान आदि में इससे अधिक मात्रा में विकिरण लोगों को प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है–

1. विद्युत उत्पादन में परमाणु विखंडन (Nuclear Fission) का प्रयोग किया जाता है।
2. कोबाल्ट–60 और Cs-137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।
3. C0.60 या Cs-137 का Y- श्रोत के रूप में मेडिकल उत्पादों, मांस, सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।
4. कैंसर के इलाज हेतु Teletherapy में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थिति को कहते हैं, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो।

परमाणु विस्फोट का प्रभावः– विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊँचाई, हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव–प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार से पड़ता है।

1. **विस्फोट प्रभावः–** अचानक विस्फोट से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और आस–पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संघनित (Compressed) वायु फैलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है। इससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है। तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है, जिसमें चीजें उड़ने लगती है।
2. **गर्मी का प्रभावः–** अत्यधिक गर्मी, तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है, जिससे आग लग जाती है तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलते जाने से आग का तूफान सा आ जाता है।
3. **विकिरणः–**शुरू के एक मिनट में प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है। इसके बाद गैस या धूल कणों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते हैं तथा कई सौ कि0मी0 तक के

क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकते हैं, जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन, आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है।

उक्त से निपटने के लिये विशेष मेडिकल तैयारी भी होनी चाहिए–

1. **विसंक्रमित कक्ष का निर्माण–** चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।
2. **धूल रहित वायु–**इलाज के लिये एक ऐसा वार्ड होना चाहिए, जहाँ शुद्ध वायु मिल सकें।
3. रेडियोएक्टिव वस्तुओं के निस्तारण की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।
4. सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सकें।
5. सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुँचेगी। इनके पास आवश्यक उपकरण होंगे। उपकरणों/यंत्रों की सूची अनुलग्न–3 पर है।
6. पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।
7. जिले में रेडियोऐक्टिव पदार्थों का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टॉफ, डाक्टर, एम्बुलेंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होंगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फैलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमें, उपकरण एवं औषधियां होनी चाहिए।
8. इन कार्यों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना के उपरानत बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीन करेंगे।
9. विकिरण मॉनिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते हैं, जो नजदीकी थाने से जुड़ें हों। साथ ही पुलिस वाहनों में भी ये उपकरण लगाए जा सकते हैं। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जांच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जो वर्तमान में सबसे नजदीक लखनऊ में है।

घटना के दौरान

इस प्रकार की किसी आपात स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना स्थल को प्रस्थान करें। ये दस्ते शिफ्टों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी :–

1. **खोजी टीमः–**यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जांच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते हैं और कितना क्षेत्र प्रतिबंधित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेगी।
2. **विसंक्रमण टीमः–**यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल पानी को टैंकों में

सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने के पूर्व सघन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3. **बचाव एवं विस्थापन टीमः**—यह टीम मुख्य रूप से लोगों के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हें विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जाएगा। लोगों को सही सूचनाएं देकर अफवाहों पर विराम लगाएगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाएगी।
4. **मेडिकल टीमः**—यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल भेजवाने हेतु जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।
5. **समन्वयी टीमः**—उक्त सभी टीमों के कार्यों में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान—प्रदान के लिए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

- ✓ घायलों एवं पीड़ितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसंक्रमित की जायेगी। मृतकों के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जाएगा।
- ✓ मिट्टी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्हें विसंक्रमित किया जाएगा।
- ✓ विसंक्रमण के लिए रेडियोऐक्टिव सामग्री को मशीनों से इकट्ठा किया जाएगा तथा धूल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जाएगा। क्षेत्र को पानी से धुलकर भी विसंक्रमित किया जाएगा।

परमाणु आपदा—प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

1. बचाव एवं राहत कार्यों का चिन्हांकन।
2. विस्थापन एवं पुनर्वास की आवश्यकताएं।
3. विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था, शिफ्टवार ड्यूटी।
4. उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।
5. लाउडस्पीकर, टॉर्च, जनरेटर, प्लास्टिक बैग, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, गैस मॉस्क आदि का उपयोग।
6. संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।
7. विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।
8. विसंक्रमण।
9. संचार व्यवस्था।
10. रेडियोएक्टिविटी का स्तर।
11. मानव, पशु शवों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैग में सील करके पूर्व निर्धारित स्थल पर ही किया जाय।
12. संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जांय तथा लोगों को विसंक्रमित करके ही कहीं जाने दिया जाय।
13. घटना का विवरण संक्षेप में कालक्रमानुसार तैयार करना।

14. निषिद्ध क्षेत्र में जाने–आने वाले हर व्यक्ति का अभिलेखीकरण किया जाएगा। नाम, जाने/आने का समय, कारण आदि।
15. प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश के समय च्वबामज कवेपउमजमत दिया जाय तथा उसकी जाने एवं आने के समय रीडिंग ली जाय।

लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना

इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिए कम समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

लघु समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं :–

1. सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबंधों का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2. अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3. खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना।
4. प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनों का विकास/सचल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग।
5. फण्ड की उपलब्धता।
6. मेडिकल टीमों का प्रशिक्षण एवं उपकरण।
7. जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
8. स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं :–

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यों की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं :–

इसमें सारे कार्यों का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनों के अनुसार उसमें परिवर्तन/संशोधन करना है। इस अवधि तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगे।

1. एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालों पर लागू किया जायेगा।
2. सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना, जिसमें अस्पताल परिवहन, पुलिस, फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओं से संचार सम्बन्ध हो।
3. सभी प्रकार के खतरों को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

:– क्या करें–क्या न करें :–

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व

1. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थों से दूर रहें।
2. आवास में एक वेसमेंट बनाए या चिन्हित करें जहां पर पूरा परिवार रह सकें।
3. यदि वेसमेंट न हो तो घर के सामने गड्ढ़ा खोदकर बंकर बना लें।
4. घर पर नष्ट व खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5. शरणालय में मूत्रालय व शौचालय की भी व्यवस्था रखें।
6. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7. बैट्री संचालित रेडियों रखें।
8. खिड़कियों एवं शीशें के दरवाजों पर काला पेपर चिपका दें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान

1. 4 से 5 फीट गहरें गड्ढ़े की तलहटी में गामा विकिरण से बचाव हो सकता है।
2. प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3. यदि खुले में है तो तत्काल जमीन पर लेट जाय तथा तब तक पड़े रहे जब तक मिट्टी, कंकड़, लकड़ी के टुकडें गिरना बन्द न हो जाय।
4. आंख एवं चेहरे को हाथों से ढ़ंक लें।
5. कानों को भलीभांति अंगुली से बन्द कर लें।
6. यदि वाहन में है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे का वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण लें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद

1. चोट एवं जलन तथा क्षति अत्यधिक घबड़ाहट पैदा कर सकते हैं। अतः मानसिक दृष्टि से मजबूत एवं शान्त बनें रहें क्योंकि यदि दुर्घटना स्थल के बहुत पास नहीं है और विस्फोट में बच गये हैं तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है।
2. छोटी–मोटी आगों को फैलने से पहले बुझा दें।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए Standard Operation System (SOP) इस प्रकार हैः–

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणः–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जन सहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबंदी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रिया शील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों /मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7.	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0 जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–3

जैविक आपदा प्रबन्धन

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल, पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहुंचाते हैं। युद्ध में शत्रु और आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। भौगोलिक सीमाओं से परे ये मानव से मानव में, पशुओं से मानव में और फसलों से मानव में फैल सकते हैं।

एन्थ्रेक्स, छोटी चेचक, प्लेग, स्वाइन फ्लू, एड्स, कालरा आदि इसके उदाहरण हैं। लगभग 17 देश जैविक हथियारों पर काम कर रहे हैं। कई छोटे–बड़े आतंकवादी गुटों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान हैं। कोई भी व्यक्ति, पशु–पक्षी या पेड़–पौधा प्राकृतिक रूप से ये रोग फैला सकते हैं। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। भारतीय सन्दर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य बिन्दु है :–

1. रेगिस्तानी, हिमालयी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले की आशंका कम है, किन्तु नौ सेना बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानों जो भौगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।
2. आतंकवादी एन्थ्रेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते हैं।
3. बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को व्यापक क्षति पहुंची। साथ ही मनुष्यों को शारीरिक क्षति और परेशानी हुई। इस प्रकार कृषि उत्पाद और पशु–पक्षी भी निशाना बनाए जा सकते हैं। च्तजीमदपनउलेजमतंचींतनेए 50 के दशक में गेहूं के साथ आया और फसलों को बहुत क्षति पहुंचायी।
4. शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व इस प्रकार के रोगों की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम् है। जैसे 1994 में सूरत में फैला प्लेग रोग।

इसका असर दो प्रकार से हो सकता है। एन्थ्रेक्स की श्रृंखला नहीं बनती, जबकि छोटी चेचक, प्लेग की श्रृंखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय

क्षमता, मानव संसाधन विकास– प्रशिक्षण, तमतिमी बवनतेमेए नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित व्यक्ति इस स्थानों के लिए। शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। सभी प्रशिक्षण छद्म प्रदर्शन/अभ्यास पर केन्द्रीत होना चाहिए तथा जन सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिन्दु पर भी केन्द्रित होना चाहिये कि किसी भी तरह उत्तेजना/अफवाह न फैलने पाये। सावधानियां एवं रहन–सहन, मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार।

1. हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र/ प्रयोगशालाओं का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।

2. विभिन्न संस्थाओं की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थिति से निबटने में कुछ डवकमस विकसित करें।
3. विद्यमान आपातिक संचारत्पन्न, स्वास्थ्य तंत्र, प्रेस मीडिया तथा छलशे का नेटवर्क बनाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जोड़ना।
4. हर स्तर पर मेडिकल प्लानिंग, चिन्हित अस्पतालों को न्वहतंकम करना, मोबाइल टीमें विकसित करना, इन बस में पर्याप्त दवाएं, सुसज्जित स्टॉफ आदि।
5. चिन्हित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त होने पर पानी, भोजन, स्वच्छता–सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।
6. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निबटने के वैकल्पिक उपायों का विकास। वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्वप्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू है :–

1. सम्बेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकन– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते हैं, या फिर से फैल सकते हैं या जानवारों के रोग जो मनुष्य में हो सकते हैं की जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान/स्थान पर प्रवेश में सावधानी तथा लक्षण प्रकट होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझ कर ऐसे रोग फैलाने/युद्ध/आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर प्रतिरोध/पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।
2. पर्यावरण सुरक्षा– पानी के श्रोतों पर सतत निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई, रोग वाहक वायरस–नियंत्रण, शव निस्तारण आदि भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी, मच्छर नियंत्रण के लिए उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फैगिंग आदि की जा सकती है।
3. आपदा के बाद महामारी की रोकथाम–किसी आपदा के बाद महामारी की आशंका/संभावना अधिक रहती है।
4. **एकीकृत रोग गिरानी व्यवस्था (IDSP-Integrated Disease Surveillance System)–** वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ों का आदान–प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।
5. टीकाकरण– ऐसी दवाएं और उनका उत्पादन करने वाली संस्थाएं चिन्हित कर उनका उत्पादन और टीकाकरण का कार्य करना होगा।
6. स्कूल, कालेज बंद करना, मेला आदि पर रोक, कार्यालय, सिनेमा हाल बंद कर काफी हद तक रोगों के प्रसार को विलम्बित किया जा सकता है।

1. **क्षमता विकास–** केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए।

- ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान–प्रदान व्यवस्था।
- नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनों और स्टॉफ के साथ।

2. **प्रशिक्षण एवं शिक्षा–** सभी स्टॉफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक और आतंकी रोग में अंतर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।
3. **जन जागरूकता एवं सहभागिता–** क्या करें/न करें की शिक्षा, जिसमें सफाई, खान पान आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुंचाने हेतु निर्दिष्ट करना और सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल–ड्रामा, प्रतियोगिता, पेन्टिंग आदि द्वारा जागरूकता फैलायी जा सकती है।
4. चिकित्सा मुख्य रूप से अस्पतालों में होगी। इस कारण अस्पतालों की सूक्ष्म योजना तैयार होनी चाहिए।
1. **प्रयोगशालाओं का नेटवर्क–** वर्तमान प्रयोगशालाओं को सशक्त करना होगा और जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगों की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करनी होगी। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मांग है।
    1. जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं जो रोग के कारण का पता लगा सकें।
    2. मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं संदेह की स्थिति में गाइड करने हेतु।

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबंधन

कृषि एवं खाद्य उद्योगों में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझकर आतंकी गतिविधियां की जा सकती है। क्षतिकारक कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को भी जहरीला बनाया जा सकता हैं। आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमलों से खतरनाक है।

वर्ष 1943 में कोट्टयम (केरल) में केले के पौध में एक रोग ठनदबील ज्वचद्ध श्रीलंका से आया और धीरे–धीरे असम, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में फैल गया। प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पड़ा और कुछ क्षेत्रों से केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी।

वर्तमान तैयारीः– कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई एवंज ल अड्डों पर 29 च्संदज फनंतंदजपदम केन्द्र हैं, जो आयातित अनाज, बीज और अन्य कृषि उत्पादों की जांच करते हैं, किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है।

भविष्य के लिए एक आपातकालीन केन्द्र बनाना होगा जो इस प्रकार की परिस्थितियों में समन्वय का काम करें। कोई आपात स्थिति न होने की दशा में यह निगरानी और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर कार्य कर सकता है। यह केन्द्र अति सुरक्षित होना चाहिए तथा संवाद की अत्याधुनिक सुविधाएं भी इसमें होनी चाहिए।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1. **जांच दल–** इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. **विसंक्रमण दल–** यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. **बचाव दल–** यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. **चिकित्सा दल–** दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।
5. **सुरक्षा अधिकारी–** सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखें। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे–जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाहन, मानव श्रम।

क्या करें जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान

1. शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। नाखून कटे हो तथा खाने के पहले हाथ साबुन से धोयें।
2. पानी उबालकर पियें।
3. सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
4. उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करें।
5. नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकाएं।
6. किसी तरह की बिमारी की सूचना आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष अथवा स्वास्थ्य विभाग को दें।
7. संक्रमित खाद्य पदार्थों, वस्तुओं, फसलों इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें।
8. मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्या न करें

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होने दें।

1. पानी एकत्रित न होने दें।
2. संक्रमित अथवा बासी खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।

जैविक आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम (SOP)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणः–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय। पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगों का आवागमन नियमित/ प्रतिबंधित करना।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चत करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना। राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यवक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जन निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतों की मरम्मत।
7.	कृषि विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैविक लक्षणों पर सतत दृष्टि रखना।	स्थानीय परिस्थि तियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की फसलों के रोगों का चिन्हींकरण एवं उपचार, जिससे उन रोगों का प्रसार पशुओं एवं मनुष्यों में न हो सकें।	रिपोर्टिंग आदि की समुचित व्यवस्था।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0उपलब्ध कराना।
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–4

अग्निकांड

जनपद सुलतानपुर के लिये इस आपदा की प्रासंगिकता है। इस कारण इसे आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक घटनाएं अग्निकाण्ड से हुई थी, जिसमें 05 मनुष्य एवं 96 पशुओं की मृत्यु हुई थी तथा 1486 मकान क्षतिग्रस्त हुये थे। अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को 61.75 लाख रूपया राहत सहायता वितरित किया गया था। फायर बिग्रेड के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। इस दिशा में निम्न कार्यवाही कार्य योजना में शामिल की जानी आवश्यक हैः–

1. कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर में फायर स्टेशनों की स्थापना।
2. वाहनों की संख्या बढ़ाया जाना।
3. सभी विद्यालयों/बड़ी संरचनाओं में फायर फाइटिंग व्यवस्था।
4. कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जाना।

अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें

अपने मकान/स्थान को खाली करने की पूर्व योजना दिमाग में रखें तथा पूर्वाभ्यास भी करें।

1. मकान/स्थान से निकलने के दो मार्ग सोचकर रखें।
2. फायर एक्सट्यूगिसर लगवाए तथा चलाना भी जानें।
3. आग/कार्बनमोनोंऑक्साइड एलार्म लगवाए तथा उसे ठीक दशा में रखें।
4. मकान/स्थान के बाहर किसी खुली जगह में मिलने का स्थान भी सोचकर रखें।
5. मकान में एल0पी0जी0 गैस की पाइप खराब होने से पहले बदल दें।
6. बच्चों को ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखें।

क्या करें अग्निकांड के दौरान

1. आग या कार्बनमोनोऑक्साइड की सूचना एवं शान्ति से किन्तु जल्दी मकान/स्थान खाली करें।
2. कोई वस्तु/दरवाजा छूने से पहले समझ लें कि वह बहुत गर्म न हो।
3. धुवें की स्थिति में जमीन/फर्श से सटकर रहें क्योंकि धुआं ऊपर उठता है।
4. फायर/पुलिस से सम्पर्क करें।

5. पेट्रोल से लगी आग पर पानी काम नहीं करता तथा विद्युत से लगी आग में पानी डालने पर बिजली फैलने का खतरा रहता है। अतः पेट्रोल से लगी आग में मिट्टी/बालू का इस्तेमाल करें तथा बिजली से लगी आग में विद्युत कनेक्शन काटने के बाद पानी डालें।

क्या करें अग्निकांड के उपरान्त

1. घायलों को खुले एवं ठण्डें स्थान पर रखें तथा निकटतम् चिकित्सालय पर ले जायं।

क्या न करें

1. जलती मोमबत्ती, अगरबत्ती, गैस, मिट्टी के तेल का उपयोग, अलाव, चूल्हें, बीड़ी या सिगरेट न छोड़ें।
2. घर में अनावश्यक एवं अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ न रखें।
3. घटना के दौरान घबड़ाएं नहीं।
4. बिजली के तार पर कपड़ें न फैलाएं।
5. सड़क पर बिजली विभाग के गिरे तारों की उपेक्षा न करके तत्काल विभाग को सूचित करें।
6. फसलों के मौसम में खेतों के पास आग न जलाएं।

अध्याय–5

भूकम्प आपदा

जनपद सुलतानपुर में भूकम्प का कोई इतिहास नहीं है, किन्तु सम्बेदनशीलता की दृष्टि से जनपद खतरे के जोन–3 में है तथा जोन–4 के नजदीक है। इस कारण भूकम्प की दृष्टि से जनपद सम्बेदनशील माना जाता है।

भूकम्प से होने वाली क्षति का सबसे बड़ा भाग मकानों के टूटकर गिरने के कारण होता है। मकानों के टूटने से होने वाली सम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलवे में दबकर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है और इससे स्थिति अत्यधिक भयावह हो जाती है।

भूकम्प से सम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्परोधी मकान बनाना मुख्य योजना में शामिल किया गया है। इसके लिये लोगों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियंता, नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओं की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Metrological Deportment) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोड़ल एजेन्सी बनायी गयी है तथा Bereau of Indian Standard भारतीय मानक ब्यूरो को भूकम्परोधी मकानों की विधि एवं अन्य सुरक्षा मानकों हेतु नोडल बनाया गया है।

प्रस्तावना

प्रकृति की सबसे बड़ी विपदाओं में भूकम्प सबसे विनाशकारी है। भूकम्प की पूर्व सूचना के लिए हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के असामान्य व्यवहार पर निर्भर करते थे। आज स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। बहुत सी मशीनें बन गयी हैं। नई तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। इससे भूचाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है।

भूकम्प के लक्षण

दुनिया में हर साल भूकम्प आते हैं। इनमें से कुछ के बारे में ही जानकारी हम सभी तक पहुंचती है। असल में जमीन के अन्दर लगातार टूट–फूट होती रहती है। बाहर से वह दिखाई नहीं देती। धरती पर बाहरी परतों का दबाव पड़ता रहता है। भीतरी ताकतें भी अपना जोर लगाती हैं। दबाव अधिक होने पर चट्टानें अचानक टूट जाती हैं। वे टूट कर या तो अन्दर धंस जाती हैं अथवा ऊपर की ओर उभरने लगती हैं। उनके इसी जोरदार धक्के से पृथ्वी कांपने लगती है। तकनीकी शब्दों में पृथ्वी की इन विभिन्न प्रकार की सतहों का परस्पर टकराव ही भूकम्प का कारण होता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूकम्प एक प्राकृतिक विपदा है। जमीन की ऊपरी परत आमतौर पर सख्त और स्थिर होती है। अन्दर से पृथ्वी प्रायः कांपती रहती है। यह कम्पन इतना मामूली होता है कि हमें पता ही नहीं लगता। कभी–कभी यह कम्पन इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि पहाड़ों की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। नगर के नगर ध्वंस हो जाते हैं। पानी के स्रोत अपना स्थान बदल लेते हैं। कहीं पर नए चश्में फूट पड़ते हैं और

कहीं पर पानी से भरे चश्में सूख जाते हैं। गहरी खाईयां गुम हो जाती हैं और नई घाटियां बन जाती हैं। इन सब कारणों से जान–माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। यह नुकसान कम से कम हो उसके लिए अब तकनीक और समझदारी ही एक सहारा है।

भूकम्प के प्रभाव को कम करने वाले उपाय–

सरकार इस बात के पूरे–पूरे प्रयास कर रही है कि यदि कहीं पर भूकम्प आ ही जाएं तो उससे होने वाली हानि कम से कम हो। इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। भारतीय मानक संस्थान ने देश के भूकम्प प्रभावित इलाकों को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऐसे मापदण्ड निश्चित कर दिए हैं, जिनके अनुसार उन क्षेत्रों में मकान बनाए जाएं तो वह बहुत कम क्षतिग्रस्त होगें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में भवनों का निर्माण स्थानीय अधिकारियों की देखरेख में नियमानुसार होता है। परन्तु इन नियमों में कई बार भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों को शामिल नहीं किया जाता है। कई स्थानों पर नियम लागू किए जाते हैं परन्तु उनकी ठीक–ठीक जानकारी वहां के भवन बनाने वालों को नहीं होती। देहातों में तो यह समस्या और भी गम्भीर हैं।

सरकार द्वारा इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गये हैं–

1. भूकम्प के जोखिम को कम से कम करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन।
2. भवन निर्माण के नियमों की समय–समय पर जांच पड़ताल करना और नियमों का सख़्ती से पालन करवाना।
3. राज्यों में आपातकाल की स्थिति में काम करने वाली इकाइयों का गठन।
4. भवन निर्माताओं और इंजीनियरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना।
5. देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले राजमिस्त्रियों को मानकों के अनुसार मकान बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में भी भूकम्परोधी निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण देना।
6. स्कूलों और कालेजों में भूकम्प इंजीनियरिंग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
7. चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अस्पताल में आपातकालीन तैयारियां करने की शिक्षा देना।
8. पुराने बने हुए भवनों की समय–समय पर जांच पड़ताल करना।

   इन कार्यों के लिए सरकार ने 1132 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। योजना आयोग ने इसे मंजूरी दे दी है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से भूकम्प संभावित चार और पांच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक भवनों को शामिल किया गया है।
9. शहरी क्षेत्रों में भूकम्प से कम क्षति हो, इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाना।
10. देहाती क्षेत्रों में होने वाले निर्माणों में भूकम्प से सम्बन्धित मानकों का समावेश।
11. भूस्खलन वाले क्षेत्रों के लिए भी राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन।

12. रेडियो, टी0वी0, अखबार जैसे संचार के माध्यमों से लोगों को जरूरी जानकारी देने का प्रबन्ध करना।
13. उत्तरी पूर्वी राज्यों पर विशेषकर ध्यान देना।

क्या करें भूकम्प के पूर्व–

1. स्थानीय प्रशासन से यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि क्या आपका भवन भूकम्प वाले क्षेत्र में है?
2. स्थानीय अधिकारियों की सहायता एवं उपलब्ध साधनों द्वारा अपने घरों की अधिक सुरक्षित बनाएं।
3. अपने घर में ऐसा स्थान पहले से ही चुन लें जो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो। जहां आपके ऊपर कुछ भी न गिरे। किसी भी दशा में सिर पर कोई चोट न लगे इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। भूकम्प के कारण सिर पर चोट के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं।
4. ऐसी विपदा में पूरी तरह से हौसला रखना चाहिए। घर के अन्य सदस्य ऐसी विपदा में घबरा न जाएं, इसके लिए समय–समय पर उनके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। संभव हो तो परिवार के सदस्य समय–समय पर भूकम्प से बचाव के उपयों का अभ्यास करें।
5. सबसे जरूरी बात तो यह है कि हर भवन के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. प्लास्टिक का प्रयोग कम करें। इससे आग लगने की सम्भावना रहती है।
7. भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग अच्छा रहता है। इन ईंटों के साथ स्टील की रॉड का प्रयोग किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। स्टील में अधिक तनाव सहने की क्षमता होती है।
8. जहां पर जापान की तरह बहुत अधिक भूकम्प आते हों, वहां प्लाईवुड जैसी हल्की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बांस से बनने वाले घर बेहतर भूकम्परोधी होते हैं। ये सस्ते भी बनते हैं। महानगरों में ऐसे मकान बनाना सम्भव न लगता हो तो कम से कम छोटे शहरों और कस्बों में तो बनाए ही जा सकते हैं। आखिर भूकम्प तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे मकानों के गिरने से अधिक जान–माल की हानि नहीं होती।
9. यदि सम्भव हो तो भवनों के दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के बनाये जाएं। उनके चौखट और फ्रेम लोहे अथवा पत्थर के हो सकते हैं। राजस्थान के आम घरों में ऐसे पत्थरों का प्रयोग देखा जा सकता है। आज कल एल्यूमीनियम का प्रयोग भी अच्छा रहता है। एल्यूमीनियम हल्का भी होता है और मजबूत भी।
10. कई मकानों के निर्माण के समय उनके बीच खाली जगह जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आग लगने का खतरा कम होता है। आग लग जाएं तो आग बुझाने में आसानी होती है।

11. भवन निर्माण सावधानीपूर्वक किए जाएं। बिजली की फिटिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएं। शार्ट सर्किट का भय कम से कम हो। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर अग्निरोधी भवन बनाएं जायेंगे तो भूकम्प आने की स्थिति में भी नुकसान कम से कम होगा।
12. भवन निर्माण के मानको का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। त्रिकोण सिद्धांत के आधार पर बनाये गये मकान अच्छे रहते हैं। छत, खम्भों और दीवारों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि कड़ेपन के साथ उनमें लचीलापन भी हो। वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। छत का भार सामान रूप से विभाजित हो तो वह जल्दी से नहीं गिरती।
13. आपदा के समय जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां आप आसानी से पहुंच सकें। इन वस्तुओं में प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयां, नकदी धनराशि, बैटरी से चलने वाला रेडियो, खाने–पीने का सामान, मजबूत जूते और चप्पलें, प्लास्टिक शीट, सीटी, रस्सी, टॉर्च, बैटरी, माचिस और मोमबत्ती इत्यादि।

क्या करें भूकम्प के दौरानः–

1. घर के भीतर हों तो घबराएं नहीं। बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। सावधानी रखते हुए घर के और सदस्यों के साथ खुले मैदान में आ जाएं।
2. जिस सामान के ऊपर गिरने की सम्भावना हो उससे दूर ही रहें।
3. यदि आप घर से बाहर हैं तो पेड़ों, विशेष रूप से अकेले पेड़ से, खम्भों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर खड़े हो।
4. यदि आप सड़क पर किसी गाड़ी में हैं तो गाड़ी से उतर कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं।

क्या करें भूकम्प के बाद –

1. अपनी चोटों की जांच करें। पहले छोटे बच्चों पर ध्यान दें कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। यदि चोट लगी हो तो तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें।
2. जरूरी हो तो करीबी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के लिए जाएं।
3. जल–मल व्यवस्था और बिजली की लाइनों में हुई क्षति को देखें।
4. घर में हुई टूट–फूट पर ध्यान दें। खतरनाक मलबे को हटाने का प्रबन्ध करें। सबसे पहले देखें कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति अथवा जानवर दबा हुआ तो नहीं है। यदि कोई हो तो तुरन्त मलबा हटा कर उन्हें बाहर निकालें। घायल का इलाज करें। मलबे में दबे हुए शवों को बाहर निकाल कर उनकी अन्तिम क्रिया का प्रबन्ध करें। लाशों के सड़ने से बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिनसे जीवन दूभर हो जाता है।
5. स्थानीय अधिकारियों, पुलिस अथवा सेना, अग्निशमन कर्मियों की हिदायतों की प्रतीक्षा करें। जहां तक सम्भव हो उनके साथ सहयोग करें। उनके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। ऐसी सहायता के आने के लिए रास्ते साफ करने का प्रयास करें।
6. स्वच्छ पानी और आवश्यक भोजन सामग्री का प्रबन्ध करें।

आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम (SOP)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय। पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगों का आवागमन नियमित/ प्रतिबंधित करना।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चत करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना। राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यवक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जन निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतों की मरम्मत।
7.	लोक निर्माण विभाग	पर्याप्त प्रशिखण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	–	क्षतिग्रस्त भवनों, पुलों, सड़कों आदि की मरम्मत/निर्माण करना। क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मांग करना।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0उपलब्ध कराना।
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों /संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
13.	विकास प्राधिकरण एवं शहरी नगर निकाय	भूकम्परोधी मानकों का दृढ़ अनुपालन, कमजोर ढ़ांचों को चिन्हीत कर उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।	–	अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य।
14.	विकास विभाग	–	–	आवासहीन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

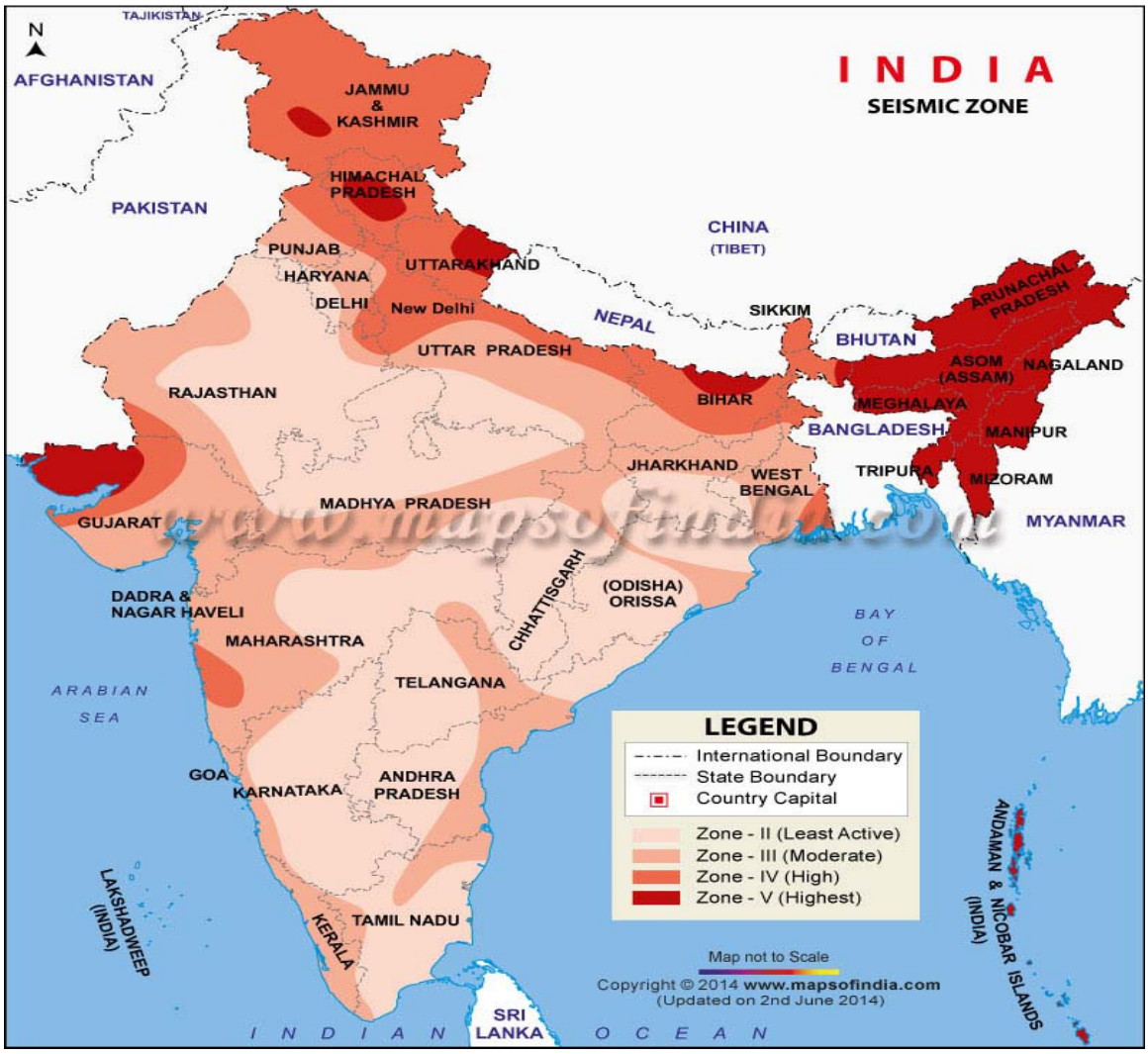

अध्याय–6

चक्रवात आपदा

वातावरण में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज हवाएं उसके चारों ओर चलने लगती है, जिससे चक्रवात आते हैं। चक्रवात में तेज आंधी एवं खराब मौसम का भी आगमन होता हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में यह हवा घड़ी की सुईं की उल्टी दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुईं की दिशा में चलती है। हवा की गति जितनी तेज होती है, नुकशान की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। भारत के सन्दर्भ में चक्रवात का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में पड़ता है। सुलतानपुर जनपद में भीषण चक्रवात का कोई इतिहास नहीं रहा है, फिर भी समय–समय पर इसका असर देखने को मिलता है। तेज आंधी एवं तूफान से पेड़ गिर जाते हैं। पेड़ के गिरने से विद्युत के खम्भे एवं तार टूट जाते हैं, जिससे बिजली की समस्या पैदा होती है तथा करेण्ट से यदा–कदा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पेड़ों एवं कच्चे मकान/मण्डई के गिरने से जन हानि भी हो जाती है।

चक्रवात की दृष्टि से की गयी जोनिंग से स्पष्ट है कि सुलतानपुर अपेक्षाकृत कम सम्बेदनशील जोन में आता है।

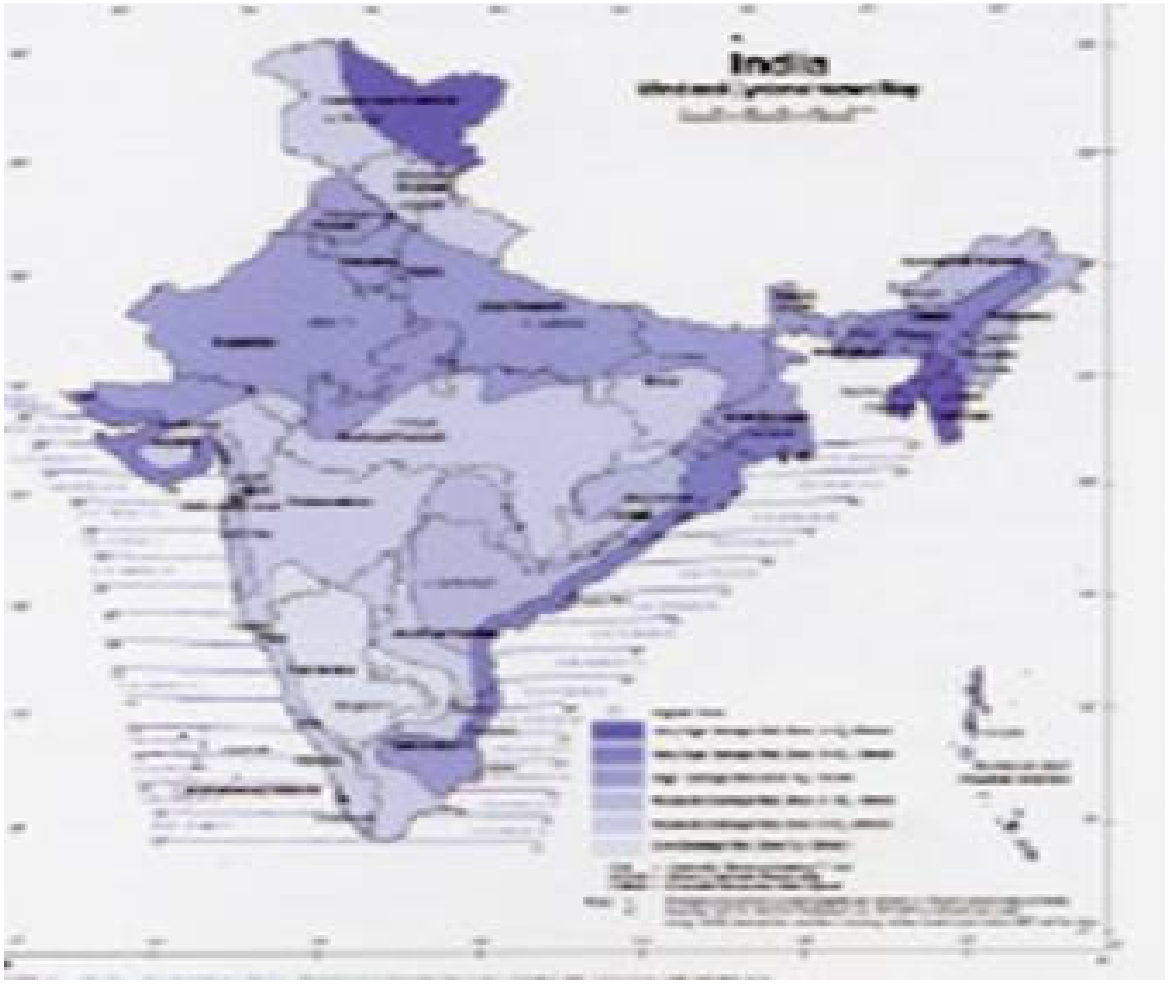

पूर्व तैयारी–

1. पूर्व सूचना प्रणाली– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सहित अनेक संस्थाएं इस कार्य में लगी हैं। चक्रवात आने की पूर्व सूचना मिलने से सतर्क दृष्टि रखते हुए जनहानि से बचा जा सकता है।
2. मकानों की संरचना– मकानों के निर्माण के समय उन्हें चक्रवातरोधी बनाया जायं।
3. जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण– जिला, तहसील, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर विभिन्न सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल कर जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण से चक्रवात से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।
4. रेन गेजों की स्थापना– परम्परागत रूप से तहसील मुख्यालयों में रेन गेजों की स्थापना हुई है, जिससे वर्षा सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं, किन्तु आधुनिक संचार प्रणाली के अन्तर्गत रैन गेजों की स्थापना की आवश्यकता है।
5. चिकित्सीय तैयारी– जिला एवं तहसील स्तर पर सचल दस्ता तैयार रहे जिसे आवश्यकतानुसार भेजकर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकें।
6. राहत वितरण– पीड़ितों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करायी जाय।

सुरक्षा–सुझाव–

1. घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
2. अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान की मजबूती हेतु मकान सीमेन्ट आदि से बनवाएं। मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढ़ह जाते हैं। आप ऐसा घर बनवा सकते हैं जिसकी दीवारें लोकट ईंटों से उस ऊंचाई तक बना हो जहां तक बाढ़ आती है।
3. आपातकालीन बाक्स हमेशा अपने पास रखें।
4. एक छोटी रेडियों, टार्च, बैट्री साथ रखें।
5. पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूड़ा, मूड़ी, गुड़, बिस्कुल आदि) किरासनतेल, मोमबत्ती और माचिस आदि हमेशा स्टॉक कर रखें।
6. पॉलिथीन बैग या वाटरप्रुफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, प्राथमिक उपचार बाक्स और मजबूत रस्सी अपने पास हमेशा रखें।

अध्याय–7

सूखा आपदा

सूखा गम्भीर संकट नहीं, कैसे करें सामना

जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इसकी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती हेतु सिंचाई के लिये जनपद में उपलब्ध संसाधन एवं खेती के क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है–

खरीफ का क्षेत्रफल	–	94383 हे0
जनपद में सरकारी चालू नलकूपों की संख्या	–	447
नहर के कुल टेलों की संख्या	–	196

उक्त के अतिरिक्त प्राइवेट बोरिंग से सिंचाई की सुविधा है। इसके बावजूद अवर्षण की स्थिति में सूखा की समस्या पैदा हो जाती है। यद्यपि जनपद में सूखे से कभी अकाल या महामारी जैसी स्थिति नहीं आयी है, न हीं कोई समस्या उत्पन्न हुई है, फिर भी फसलों को क्षति के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। पेयजल की भी कोई बड़ी समस्या विगत वर्षों में नहीं आयी है, किन्तु जलस्तर नीचे चले जाने से कठिनाइयां पैदा होती हैं।

आंखे आसमान पर टिकी हैं,तेज है,तेज धूप में चमकता साफ नीला आसमान कहीं कोई काला–घना बादल दिख जाए इसी उम्मीद में आषाढ़ निकल गया। सावन में तो छींटे भी नहीं पड़े। भादों में दो दिन पानी बरसा तो लेकिन गर्मी से बेहाल धरती पर बूदें गिरीं और भाप बन गईं। अब...? अब क्या होगा.....? यह सवाल हमारे देश में लगभग हर तीसरे साल खड़ा हो जाता है। देश के 3 राज्यो के 135 जिलों की कोई दो करोड़ हेक्टर कृषि भूमि प्रत्येक दस साल में चार बार पानी के लिए त्राहि–त्राहि करती है।

भारत की अर्थ–व्यवस्था का आधार खेती–किसानी है। हमरी लगभग तीन–चौथई खेती बारिश के भरोसे है। जिस साल बादल कम बरसे, आम–आदमी के जीवन का पहिया जैसे पटरी से नीचे उतर जाता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक किसी इलाके की औसत बारिश से यदि 19 प्रतिशत कम पानी बरसे तो इसे सामान्य–बर्षा माना जाता है। यदि बारिश में 19 फीसदी से भी कम हो तो इसे अनावृष्टि,कहते है। लेकिन जब बारिश से 59 फीसदी से भी नीचे रह जाए तो इसको 'सूखे' के हालात कहते हैं।

कहने को तो सूखा एक प्राकृतिक संकट है। आज के दौर में इंसान भी बारिश में कमी के लिए कम जिम्मेदार नहीं। राजस्थान के रेगिस्तान और कच्छ के रण गवाह हैं कि पानी की कमी इंसान के जीवन के रंगो को मुरझा नहीं सकती है। वहां सदियों से बेहद कम बारिश होती है। इसके बावजूद वहां लोगो की बस्तियॉ है, उन लोगों का बहुरंगी लोक–रंग है। वे कम पानी में जीवन यापन करना जानते हैं क्योंकि वह पानी के हर बूंद को अच्छे से सहेजना जानते हैं।

जिन अलाकों में अच्छी बारिश होती है,वहॉ के लोग बेशकीमती पानी की कीमत नहीं जान पाते हैं। जिस साल वहॉ कुछ कम पानी बरसता है तो वे बेहाल हो जाते हैं। सूखे के दौर में पीने के

पानी का संकट अन्न की कमी और मवेशियों के लिए चारे की कमी सिर उठाने लगती है। फसले बरबाद हो जाती हैं। कुपोषण,बीमरी,जीवन में आई अनिश्चितता के कारण मानसिक परेशानियॉ इस त्रासदी को भयावह बना देते हैं। सूखा बेरोजगरी साथ ले कर आता है। ऐसे में लोग काम की तलाश में अपने घर–गॉव से दूर पलायन करते हैं। छोटा किसान फसल की तैयारी के लिए सूदखेरों की गिरफ्त में फंस जाता है। यह ऐसा दुष्चक्र होता है,जिसके बाहर निकलना बेहद कठिन है। तो क्या सूखे से बचा जा सकता हैं,? आज हमारा विज्ञान प्रकृति पर नियंत्रण के भले ही बड़े–बड़े दावे करे,लेकिन एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा के सामने हम बौने साबित होते हैं। हम ना तो बारिश को बुला सकते हैं, ना ही उसकी दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में इस संकट का सहजता से सामना करने का एकमात्र रास्ता है–

देखभाल

आखिर मेरे इलाके का पानी कहॉ चला जाता हैं,? जब रेगिस्तान में लोग थोड़े से पानी में साल भर जीवन मजे से काटते है,तो हम क्यों नही ? जब मालूम है कि औसतन हर तीन साल में एक बार कम बारिश से हमारा पाला पड़ सकता है तो हम पहले से तैयार क्यों नहीं रहते हैं,? क्या कम बारिश होने के बाद सरकार की ओर उम्मीद से देखना या फिर पलायन कर जाना ही एकमात्र विकल्प है? ये सारे सवाल यदि आपके भी मन में आते है–तो निश्चित आप सूखे से जूझ सकते हैं।

पानी की हर बूंद को बचाना,पेड़ो का रोपण, खेती में बदलाव,जमीन को मवेशियों की अतिचराई से बचाना–ये ऐसे निदान हैं जो कम बारिश के बावजूद सूखे के हालात बनने से रोक सकते हैं।

बूंद बूंद को बचाना

पीने के लिए स्वच्छ जल,खेत के लिए पर्याप्त सिंचाई,साफ–सफाई के लिए पानी और मवेशियों के लिए पेय–जल–पानी के बगैर इंसान का जीवन असंभव हैं। कम बारिश के संभावित इलाकों की जानकारी सभी को है।

पानी को रोकने के हरसंभव उपायः–

1. पारंपरिक तालाबों की सफाई, मरम्मत व गहरीकरण गर्मी के महीनों में कर लें,ताकि थोड़ा भी पानी बरसने पर उसमें जल–संग्रह हो सके।
2. तलाबों व झीलों में जो पानी अन्यत्र बाहर से आता है यदि उसके रास्ते में कोई रूकावट हो तो उसे हटा दें।
3. पुराने कुओं की नियमित सफाई करते रहें।
4. गॉव–मुहल्ले के हैण्डपम्पों की सफाई व मरम्मत समय–समय पर कराते रहें।
5. पक्के घरों की छतों पर बारिश के पानी की निकासी को नाली में बहने देने से रोकें। इस पानी को किसी पाईप के जरिए जमीन में गहरे उतार दें। इसे ''वाटर हारवेस्टिंग''कहते हैं। इसकी तकनीकी जानकारी विकासखंड कार्यालय से लें और अधिक से अधिक भवनों में इसे लागू करें।
6. हैंडपंप और ट्यूबवेल के करीब छोटे–छोटे गड्ढ़े या तलैया खोदें, जिससे बारिश का पानी इनमें एकत्र हो। यह पानी भूजल को ताकत देता है।

7. बर्तन और कपड़ों की धुलाई,वाहन व अन्य चीजों की सफाई में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। यदि जरुरी ना हो तो डिटरजेंट साबुन का प्रयोग न करें। क्योंकि इसमें पानी अधिक लगता है।
8. हैण्डपम्प से बहे बेकार पानी को एकत्र करने की व्यावस्था करें। यदि पक्की हौद या टंकी बना लें तो बेहतर होगा। यह पानी मवेशियों के पीने के काम आ सकता है।

वृक्षारोपण

जहॉ हरियाली होगी,वहॉ बादल जरुर बरसेंगे,यह बात विज्ञान से सिद्व होती है। सूखे के हालात में पेड़ों की मौजूदगी किसी चमत्कार की तरह होती है। पेड़–पौधे जमीन की नमी बरकार रखते है। साथ ही मिट्टी की ऊपरी सतह को टूटने–बिखरने से भी बचाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैः–

1. गॉव के स्कूल पंचायत और ऐसी ही सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाऐं, जो पारम्परिक रूप से आपके इलाके का हो। सफेदा या विलायती बबूल लग तो जल्दी जाते हैं,लेकिन ये नए संकटो को बुलावा देते है।
2. फलदार पेड़ आय का वैकल्पिक साधन हैं। आम,जमुन, नीम,जैसे पेड़ ज्यादा उपयोगी होते हैं।
3. नदी, तालाबों के किनारे पड़ी बेकार जमीन पर चारा उगाऍं। यह संकट के समय मवेशियों के लिए उपयोगी होगा। इससे जमीन का क्षरण भी रुकता है वमिट्टी की नमी बरकरार रहती है।

कृषि कार्य

बगैर पानी के खेती संभव नहीं है। आज कई ऐसे बीज बाजार में आ गए है, जिनमें कम पानी की जरुरत होती है। साथ ही फसल भी जल्दी तैयार होती है किन्तु यह ध्यान रखें किः–

1. खेत के आसपास छोटे–छोटे तालाब बनाएं। यह पानी भूजल के लिए फायदेमंद होगा। जरुरत पड़ने पर सिंचाई और मवेशियों के काम भी आता है। इन तालाबों में मछली पाल कर अतिरिक्त आय भी की जा सकती है।
2. मक्का की जीएम–6 धान की शोका–228 के आलावा चने की भी कुछ ऐसी किस्में उपलब्ध हैं, जो कम पानी मांगती हैं।
3. रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट का इस्तेमाल भी खेतों में पानी की मांग को कम करता है।

प्रबंधन

सूखे का पूरे जन–जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। इसके बाद विकास के काम ठप हो जाते है। जो पैसा या संसाधन विकास के कामों में लगना चाहिए, वह राहत व पुनर्वास में खर्च हो जाता है। भोजन खेती रोजगार बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य ऐसी ही कई समस्याएं साथ ले कर सूखा आता है। सूखे से संभावित क्षेत्रों में प्रबंधन के तीन प्रमुख चरण होते हैं।

1. सूखा–पूर्व तैयारी

2. सूखे के दौरान प्रबंधन
3. जन–जीवन सामान्य बनाये हेतु कदम

सूखे से पहले की तैयारी

सूखे या ऐसी किसी आपदा को नियंत्रित करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसका पूर्वानुमान होने पर इससे जूझने की तैयारी जरुर की जा सकती है। कम बारिश होने की मौसम विभाग की चेतावनियों को कमी हलके में नहीं लेना चहिए। वहीं बरिश के पूर्वानुमान के देशी–पारंपरिक तरीकों को भी ध्यान देना ठीक रहता है।

1. मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को रेडियो,अखबार,टी.वी,के माध्यम से देखा–पढ़ा जा सकता है। यदि कम बारिश की संभावना हो तो आने वाले महीनों के लिए सामूहिक तैयारी करनी होगी।
2. कृषि विस्तार अधिकारी और विकासखंड कार्यालयों में भी बारिश की संभावना की सूचनाएँ उपलब्ध रहती है। इस सूचना को गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक इस तरह पहुंचाएं कि कही डर,आतंक या घबराहट का मौहाल ना पैदा हो जाए। ध्यान रहे कि ऐसी हड़बड़ाहट का फायदा सूदखोर, बिचौलिए और कालाबाजारी करने वाले लोग उठा सकते है।
3. छोटे–मोटे आपसी विवादों, जातीय या धार्मिक टकरावों को भूल जाएं। प्रयास करें कि नियमित समय में सभी लोग एक साथ बेठें, नाचें गाएं और कुछ पल आनंद के साथ बिताएं।
4. पानी के कमी के कारण फैलाने वाली बीमारियों के लिए संभावित दवाईयां जैसे ओ.आर.एस. घोल आदि एकत्र कर लें।
5. शुद्व पेय जल के लिए देशी तकनीक पर आधारित छन्नों (बजरी,चूना फिटकरी)की व्यवस्था रखें। यदि असुरक्षित पानी पाने की मजबूरी हो तो पानी को उबालने व उसे देशी छन्नों से शुद्व करने की तकनीक का घर–घर तक प्रचार करें।
6. रोजगार गांरटी योजना के तहत जॉब–कार्ड बनवाएं। गांव की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यदि कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
7. हालात बिगड़ने से पहले ही गांव के लोगों की दिक्कतों की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाए।
8. पंचायत समिति की सहायता से गॉव की कुल आबादी,मवेशियों की संख्या,जल के स्त्रोत आदि आंकड़ों को एकत्र कर लें। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में गांव में खाने की सामग्री, पेयजल और चारे की कितनी मांग होगी।
9. अन्य–बैंक और स्वयं सहायता समूह योजनाएं सूखा–संभावित इलाकों के लिए वरदान है। स्वंम सहायता समूह रोजगार के अवसर मुहैया करवाने तथा ऊॅची ब्याज दरों पर उधार देने वाले साहकारों से मुक्ति का माध्यम है।
10. कम बारिश की संभावनाओं की जानकारी मिलते ही पानी के संचयन के उपायों को गंभीरता से लागू करने लगें।
11. प्रयास करें कि इलाके के हर खेत फसल बीमा योजना में शामिल हों।

सूखे के दौरान प्रबन्धन

सूखा तात्कालिक मुसीबत नहीं है समय के साथ इसकी विकरालता भी बढ़ती जाती है, इसके दुष्प्रभाव दूरगामी होते हैं। इन हालातों में आपसी तालमेल, सुनियोजित व्यवस्था और प्रबंधन से तकलीफों को कम किया जा सकता है।

1. सूखे के संकट का सांमना करने का सूत्र है–एक साथ रहो। सूखे की मार से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता है–अकेले पड़ जाना। यदि समूचा गांव एक–साथ हो तो लोग संकट और शोषण दोनों से बच सकते है।
2. सूखे के शुरुआती दिनों में कुछ दृढ़–संकल्प जरूरी है–गांव नहीं छोडेंगे किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चों का स्कूल जाना नहीं रोकेंगे, मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल सभी लोग समान रुप से करेगें। यदि यह संकल्प कारगर हो गया तो सूखे की कड़ी धूप पूर्णिमा के चांद की तरह शीतल महसूस होगी।
3. चाहे कम पानी से ही सही, नहाएं अवश्य। इसी तरह कपड़ो को भी साफ रखें, वरना खुजली जैसे रोग हो सकते हैं।
4. पीने का पानी शुद्व हो इसका ध्यान जरुर रखें। पानी चाहे हैंडपंप का हो या कुएं का या फिर नदी–पोखर का उसे उबालना और छानना ना भूलें ।
5. इस संकट के काल में सामाजिक या धार्मिक उत्सवों में फिजूलखर्ची और दिखावे से बचें।
6. यदि गांव/मुहल्ले में पानी के सभी खेत सूख गए हों तो वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दें। पाने के पानी को टैंकर के माध्यम से सप्लाई करवाने का सरकार के पास प्रावधन होता है। ऊपर सुनवाई ना होने की दशा में जन–प्रतिनिधियों और मीडिया के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं।
7. दुर्भाग्य से यदि मवेशियों की मौत हाने लगे तो लाशों के तत्काल निबटारे की व्यवस्था की जाए, वरना कई बीमारियां फैल सकती है।
8. जब चारे की कमी होती है। तब मवेशी जंगलों व चरागाहों में अंधाधुंध चराई करते हैं। इसके कारण जमीन की ऊपरी परत को नुकसान होता है। चिड़ियों, मवेशियों आदि के माध्यम से होने वाला बीजों का संचारण भी इससे प्रभावित होता है। मवेशियों के नंगी जमीन को लगातार चाटने व चरने से जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है।
9. मामूली मजदूरी या पलायन के कारण बच्चों का स्कूल जाना कतई न रोकें। बच्चों को स्कूल में मिड् डे मील तो मिलता ही है, साथ ही पढ़ाई उन्हे समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखती है।
10. गांव/मुहल्ले के हर घर के प्रत्येक सदस्य की जानकारी नियमित एकत्र करते रहें। कही कोई शर्म या सामाजिक–संकोच के कारण भूखा बीमार या तनावग्रस्त तो नहीं है।
11. अगली फसल की तैयारी के लिए उचित बीज, खाद आदि के बारे में सोचें। इसके लिए कर्ज लेना हो तो सरकारी योजनाओं का ही सहारा लें।
12. गर्भवती महिलाओं बुजुर्गों और शिशुओं को पौष्टिक आहार मिलते रहना चाहिए। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, गैरसरकारी संगठन और पंचायत से सहयोग लेना आपका अधिकार है।

जन–जीवन सामान्य बनाने हेतु क्या कदम उठाएं

संकट जन्म–मरण बदलाव आते–जाते रहते है, लेकिन मानव–जीवन की गति अबाध रहती है। हर रात के बाद सुनहरी सुबह होती है। ठीक इसी तरह सूखे की विपदा के बाद

सपनों उम्मीदों और बदलाव का सभी को इंतजार रहता है। इस दौर में सामाजिक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

1. अलबत्ता तो कोशिश होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति रोजी–रोटी के लिए अपना गांव घर छोड़कर अन्यत्र बाहर न जाएं, यदि मजबूरी में किसी को जाना ही पड़े तो उसकाघर हर प्रकार से सुरक्षित रहे।यह समाज की जिम्मेदारी है।
2. नई फसल की तैयारी करना ।
3. हम कहॉ असफल रहे, इसका ऑकलन कर भविष्य में इसके निदान के उपाय करना चाहिए।

सूखे के सम्बन्ध में SOP निम्न प्रकार है–

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्र0	अधिकारी / संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	–	–	शरणालयों में पुलिस प्रबन्ध।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	राहत शिविरों / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था।	–
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)	–	बचाव, राहत का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा सहायता वितरण।	–
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों / पीड़ितों की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6.	जल निगम	पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतों की मरम्मत।

क्र0	अधिकारी/ संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
7.	कृषि विभाग	–	–	फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती /वैकल्पिक फसलों के बीज/ सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0उपलब्ध कराना।
9.	सूचना विभाग	–	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
10.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण।
11.	सिंचाई खण्ड	नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	नहरों द्वारा पानी की आपूर्ति करना तथा तालाबों को भरना।	–
12.	विद्युत विभाग	–	विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।	–
13.	नलकूप खण्ड	नलकूपों को चालू हालत में रखना तथा अनुश्रवण कार्य।	नलकूपों से पानी आपूर्ति करना तथा तालाबा को भरना।	–
14.	विकास विभाग	–	मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य।	मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य।

अध्याय–8

बाढ़ आपदा

उद्देश्य –

इस योजना का उद्देश्य बाढ़ एवं जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी रखी जाय जिससे बाढ़ की स्थिति में जन–धन की क्षति कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अबिलम्ब राहत पहुँचाना सम्भव हो सके। इस जनपद में एक ही बड़ी नदी 'गोमती'' बहती है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जनपद से होकर सदर, लम्भुआ और कादीपुर तहसीलों में बहती है इस नदी में आने वाली बाढ़ ही इस जनपद की मुख्य समस्या है। इसके अतिरिक्त तहसील कादीपुर में मझुई नदी में भी बाढ़ आती है जिससे सामान्य क्षति होती है। पीली नदी भी लम्भुआ के पूर्वी भाग में कभी–कभी क्षति पहुंचाती है। कुछ बड़े नालों में भी कभी–कभी पानी अधिक आने से किनारे पर बसे गांवों में मकानों और खेती को हानि पहुंचती है।

वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ से सुरक्षा और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए पूर्व तैयारी करने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

बाढ़ आने के पूर्व की तैयारी –

जनपद के अर्न्तगत पड़ने वाली सभी कटान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, जल भराव उन्मुख तथा पानी की निकासी के क्षेत्रों, कार्य–प्रबंध की जानकारी रखना तथा मानसून आने के पूर्व नालों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराना। बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों के स्थानों की सार्वजनिक जानकारी कराने की व्यवस्था करना तथा इन स्थानों पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची व उनके कर्तव्यों का निर्धारण और इन केन्द्रों पर जीवन उपयोगी वस्तुओं व दवाइयों की मांग का निर्धारण, प्राप्ति व आपूर्ति की व्यवस्था करना और बाढ़ चौकियों व बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों के लिए आवश्यक मात्रा में नावों की व्यवस्था हेतु नावों व उनके नाविकों की सूची तैयार करना।

बाढ़ के दौरान की जाने वाली व्यवस्था –

बाढ़ के समय प्रायः नावों में अधिक भार लादने से नाव दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाय कि नाव पर निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार न हों और निर्धारित क्षमता से अधिक भार न लादा जाय। कटान रोकने के लिए बालू की बोरियों तथा आवश्यक बचत–सामग्री की तत्काल उपलब्धता के प्रबन्ध व्यवस्था का निर्धारण किया जाय। बाढ़ बचाव कार्यों में विशेष रूप से प्रान्तीय सशस्त्र (पी.ए.सी.) कम्पनियों की सेवाओं का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सम्पर्क कर लेना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर बिलम्ब की सम्भावना न रहे। बाढ़ सहायता कार्यों में जन सहयोग प्राप्त करने की दिशा में भरसक प्रयास करना तथा शासन की ओर से किए जाने वाले राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी की व्यापक प्रसारण

समय–समय पर किया जाय तथा बाढ़ आने पर बुलेटिन निकाला जाय तथा भ्रामक सूचनाओं का प्रतिवाद किया जाय।

बाढ़ के उपरान्त किय जाने वाले उपाय –

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भूमिहीनों, मजदूरों और छोटे किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा गृह विहीन व्यक्तियों के पुनर्वासन तथा मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव तैयार करने आदि की कार्यवाही बाढ़ समाप्त होने के तुरन्त बाद ही समयबद्धता के साथ पूरी करायी जानी चाहिए शासन द्वारा अनुमन्य गृह निर्माण अनुदान व गृह निर्माण तकावी का वितरण पात्र व्यक्तियों को किया जाय।

अन्य उपयोगी कदम

बाढ़ आपदा से सम्बन्धित अन्य कदम जो जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगो को उठाये जाने हेतु निम्नवत् है–

1. **आवश्यक है विभिन्न जल स्तरों पर डूबने वाले गांवों की सूची तैयार करना–**

   गोमती नदी में निम्नलिखित स्थानों पर जल स्तर देखने के लिए बेंच मार्क उपलब्ध हैं–

   1. सुलतानपुर गोलाघाट पुल तहसील सदर, सा0नि0विभाग।
   2. केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान उपखण्ड (गोमती) सुलतानपुर सिविल लाइन।
   3. देवाढ़ घाट पुल तहसील कादीपुर सा0नि0विभाग।

2. **बाढ़ चौकियों, उनके सम्बद्ध गाँव और उन पर ड्युटी पर लगाये गये स्टाफ का विवरण–**उस क्षेत्र में बाढ़ ड्युटी पर लगे हुए सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उनके सामान्य नियंत्रण और देख–रेख में कार्य करें।

3, बाढ़ आने पर बाढ़ शरणालय की आवश्यकता होती है पहला बाढ़ शरणालय तहसील प्रागंण में बना हुआ है और दूसरा बाढ़ शरणालय भण्डरा परशुराम में स्थित है। यह दोनों बाढ़ शरणालय अच्छी स्थिति में है।

4, जिला परामर्शदात्री समिति का गठन जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सुलतानपुर की अध्यक्षता में होती है और तहसील स्तर पर इस कार्य के लिए एक तहसील स्तरीय बाढ़ परामर्शदात्री समिति का गठन होता है।

जिला बाढ़ परामर्शदात्री समिति के कर्तव्य निम्नलिखित हैं –

1. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और सहायता कार्यों के लिए साधनों को एकत्र करने और उनको उचित स्थान पर पहुंचाने तथा वितरण कराने की व्यवस्था।
2. बाढ़ सामग्री, चारा, दवाइयों तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में उसका वितरण।

3. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात और सूचना भेजने तथा प्रभावित मनुष्यों, पशुओं तथा सम्पत्ति को सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था करना।
4. तहसील समिति तथा बाढ़ चौकियों तथा शरणालयों में कार्यरत स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण और निर्देशन।
5. समिति के कार्यों में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग, सहायता और परामर्श प्रदान करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकाले गये व्यक्तियों और पशुओं के पुर्नवास का प्रबन्ध।

शासनादेश के अनुसार इन समितियों के अध्यक्ष जिले में माननीय सांसद/विधायक वर्णमाला के क्रमानुसार होगें–

1. जनपद स्तर पर बाढ़ से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं सामान्य प्रबन्ध के लिए एक अधिकारी नामित किया जाता है। शासन के वर्तमान आदेशानुसार यह कार्य अपर जिला अधिकारी (वि0 एवं रा0) की देख–रेख में सम्पन्न होती है।
2. बाढ़ से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यों की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाना चाहिए साधरणतया यह कार्य मई के अन्त तक जून के प्रथम सप्ताह तक अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि शासन के आदेशानुसार जिले की बाढ़ योजना मानचित्र के साथ शासन को भेजी जा सके इसके पहले जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हो जानी चाहिए।
3. सड़कों बाढ़ चौकियों तथा संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों द्वारा करा लिया जाना चाहिए तथा सड़कों एवं भवनों के मरम्त का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों तथा अन्य सामग्रियों के अनुमानित आवश्यकता अनुसार सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।
4. खाद्य सामग्री और चारे आदि की आवश्यकता कर पूर्वानुमान लगाकर उसकी पूर्ति के श्रोत एवं भण्डारण के स्थान निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। सड़कों पर जहां कटान की आशंका रही हो वहां बालू की बोरियां तथा अन्य सामग्री लो0नि0 विभाग द्वारा उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। बाढ़ चौकियों से जोड़ने वाले मार्गो एवं पुलों की मरम्मत प्रत्येक दशा में 15 जून के पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।
5. नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य भी 15 जून तक कर लिया जाना चाहिए गांवों और परिवहन संबंधी व्यवस्था भी समय से पहले पूरी करनी आवश्यक है।
6. उप जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी बाढ़ चौकियों तथा बाढ़ तैयारी संबंधी व्यवस्था करा लें और जो कमियां हों उन्हें जिलाधिकारी की दृष्टि में जून की प्रथम सप्ताह तक लाये। ताकि उन कमियों की पूर्ति की जा सके।
7. बाढ़ से आसन्न खतरे की सम्भावना उत्पन्न होते ही कलेक्ट्रेट में एक जिला बाढ़ नियत्रंण कक्ष स्थापित किया जाता है जो बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के नियमित व बराबर सम्पर्क में रहें।

8. इस जनपद में गोमती नदी में प्रायः सितम्बर के मध्य से लेकर अक्टूबर के मध्य तक बाढ़ आती है जिसके पहले बाढ़ का आना अपवाद स्वरूप ही संभव है गोमती नदी में बाढ़ तब आती है जब लखनऊ या उससे ऊपर के क्षेत्रों में भारी वर्षा या अन्य कारण से नदी में भारी जलोत्सारण हो। अनुभव यह बताता है कि गम्भीर बाढ़ पहले लखनऊ में आती है और इसके चार पाचं दिन बाद इस जनपद में बाढ़ का प्रकोप होता है अतः प्रभारी अधिकारी बाढ़ को नीमसार, भटपुरवा, गऊघाट (लखनऊ) के जलस्तर पर निगाह रखनी चाहिए।

9. बाढ़ का वर्षा से भी सीधा संबंध होता है अतः यह भी सम्भव है कि लखनऊ के पूरब के क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाय। अतः वर्षा के दैनिक आंकड़ों पर भी सतर्क दृष्टि रखनी होगी। इस कार्य की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी (बाढ़) को प्रस्तुत करने हेतु उप जिलाधिकारियों को 16 जून से इससे संबंधित सूचना भेजने को लिख दिया जाय। वर्षा ऋतु में जनपद में औसत मानक वर्षा के मासिक आंकड़े निम्नलिखित हैं।

1.	जून	–	87.3 मि0मी0
2.	जुलाई	–	307.1 मि0मी0
3.	अगस्त	–	280.7 मि0मी0
4.	सितम्बर	–	202.8 मि0मी0
5.	अक्टूबर	–	44.4 मि0मी0

10. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के संबंध में चेतावनी देने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसको तत्परतापूर्वक किया जाना चाहिए। सामान्यतया उपजिलाधिकारी/तहसीलदार इन गांवों से संबंधित संग्रह कर्मचारियों तथा लेखपालों के माध्यम से संबंधित गांवों में बाढ़ की आंशका सम्बन्धी सूचना का प्रसारण करायेगें तथा जनता को सतर्क कर देगें कि वे अल्प सूचना पर अपने पशुओं के साथ आवश्यकता पड़ने पर अपने गांवों को खाली कर उक्त स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। आवश्यकतानुसार जीप में लाउड स्पीकर फिट करके गांवों में बाढ़ की सूचना प्रसारित करने का कार्य किया जाय। जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी बाढ़ और प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा तथा उप जिलाधिकारी तहसीलदार द्वारा समय से सूचना प्रसारित करा दी जाय।

11. आवागमन ठीक रखने का उत्तरदायित्व लो0नि0विभाग द्वारा व ग्राम विकास विभाग द्वारा होगा उक्त विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा चौकियों एवं शरणालयों तक जाने वाली अपने विभागीय सड़कों का निरीक्षण करा लिया जाय और 15 जून के पहले उसकी मरम्मत का कार्य हो जाय, इसके अतिरिक्त अन्य सम्पर्क मार्गो को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा ठीक कराया जाय ताकि आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मुख्य विकास अधिकारी इस संबंध में यथा सम्भव आवश्यक निर्देश दें।

13. बाढ़ के समय ट्रकों, नावों तथा खाद्य सामग्रियों को ले जाना पड़ता है जहां ट्रकें नहीं पहुंच सकती हैं वहां ट्रैक्टरों, बैलगाड़ियों या नावों से सामग्रियों पहुंचानी पड़ती हैं। प्रभारी अधिकारी, बाढ़ ट्रकों द्वारा ढुलाई करने के लिए पहले से ही निविदा लेकर ट्रकों के भाड़े तय कर लें और आवश्यक संख्या में ट्रकों की व्यवस्था रखें ताकि समय पड़ने पर परमिट में बिलम्ब न हो। तहसीलदार पहले से ही सुनिश्चित कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग हो सके।

बाढ़ के समय हल्की गाड़ियों की काफी आवश्यकता पड़ती है। प्रभारी अधिकारी बाढ़ जनपद स्तर पर उन विभागों की गाड़ियों की रिक्यूजीशन करेंगे जिनकी बाढ़ के सम्बन्ध में ड्युटी न लगी हो जिन सरकारी गाड़ियों की हालत अच्छी हो उनकी सूची पहले से ही प्रभारी अधिकारी बाढ़ बना लेगें। आवश्यकतानुसार इस कार्य में उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी की भी सहायता ली जाय।

14. नावों की व्यवस्था भी बाढ़ के समय जरूरी हो जाती है इसका जहां आवश्यक हो समुचित उपयोग किया जाय। बाढ़ के समय आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जनपद फैजाबाद से अतिरिक्त बड़ी नाव मंगायी जाती है।
15. बाढ़ आने पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रारम्भ में चना, लाई, नमक, मिट्टी का तेल, माचिस, मोमबत्ती आदि दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं वितरित की जाती है। यदि बाढ़ कई दिनों तक रूकने की सम्भावना नही होती है तो बाढ़ में गेहूँ और चावल की अधिकांश आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के सुलतानपुर स्थित गोदाम से की जाती है। प्रभारी अधिकारी, बाढ़ सहायक प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम सुलतानपुर से संपर्क करके इस बात की व्यवस्था करेंगे कि बाढ़ के समय गेहूँ और चावल का पर्याप्त स्टाक यहां उपलब्ध रहे। चना, लाई, गुड़, नमक और माचिस की व्यवस्था प्रत्येक तहसीलदार अपने स्तर से करेगें इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष मई व जून के प्रारम्भ में वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करके टेंडर मांग लिये जाये और टेण्डरें स्वीकार करके आपूर्ति का प्रबन्ध पहले से ही रखा जाय।

सामानों की आपूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य उत्तरदायित्व जिला पूर्ति अधिकारी का है उप संभागीय अधिकारी के सहयोग से गेहूं और चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से तहसीलदारों को करने की व्यवस्था करे।

16. बाढ़ग्रस्त गांवों के निवासियों में सहायता का वितरण मुख्य रूप से बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कराया जायेगा किन्तु जो गांव बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर जाते हैं और वहां के सभी निवासियों को बाढ़ चौकी तक पहुंचना संभव नहीं होता वहां गांव में नाव या मोटरबोट द्वारा पहुंचाकर अधिकारी द्वारा खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाय बाढ़ चौकियों पर तैनात प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम सबकी जानकारी में रहें इसके लिए उन सभी नामों की सूची बाढ़ चौकी पर लटकाई जाय उन चौकियों पर वितरण के लिए प्राप्त सामग्री दैनिक स्टाक रजिस्टर भी रखा जायेगा जिसमें प्रतिदिन प्राप्त और वितरित स्टाक की मात्रा अंकित की जायेगी। बाढ़ के प्रारम्भ में दो चार दिनों के लिए खाद्यान्न सामग्री चना, गुड़ आदि के रूप में अनुमानित आवश्यकता के अनुसार दी जा सकती है किन्तु यथाशीघ्र खाद्यान्न का वितरण परिवार रजिस्टर के आधार पर प्रत्येक परिवार के यूनिट के हिसाब से किया जाना चाहिए।
17. बाढ़ के समय गांव से लोगों के चले आने के कारण खाली पड़े घरों में चोरियों का खतरा रहता है पुलिस विभाग द्वारा खाली किये गये गांवों में चौकीदारों तथा होमगार्डों आदि के द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था करानी चाहिए।
18. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुंओं का पानी दूषित हो जाता है और पीने के पानी की स्वच्छता नही रहती। कीचड़ और गन्दगी उत्पन्न हो जाती है तथा इसके कारण संक्रामक रोगों का प्रकोप होता

है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुओं को विसंक्रमित करने, रोगों का टीका लगाने, संक्रामक रोग अवरोधक दवाइयों का छिड़काव कराने तथा रोगों की चिकित्सा का व्यापक प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

19. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों का फैलना प्रारम्भ हो जाता है। मुख्य पशु अधिकारी/जिला पशुधन अधिकारी पशुओं को टीके लगाने तथा उनकी चिकित्सा तथा चारे का प्रबन्ध करने के लिये पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए।

बाढ़ आपदा में बनायी गयी कार्य योजना (SOP) एवं उसके लागू करने के दायित्व इस प्रकार हैं

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	चिन्हित स्थलों पर वायरलेस सेट की व्यवस्था करना।	खोज, बचाव, राहत कार्यों में सहयोग करना। बंधों की सुरक्षा, पेट्रोलिंग।	शरणालयों में पुलिस प्रबन्ध।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, की उपलब्धता सुनिश्चत करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना।	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। राहत शिविरों/ शरणालायों पर चिकित्सा व्यवस्था।
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों /मृतकों आदि की सूची करण, रिपोर्टिंग आदि कार्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6.	जल निगम	बाढ़ से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतों की मरम्मत।
7.	कृषि विभाग	–	–	फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती /वैकल्पिक फसलों के बीज/ सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरण। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0 पी0जी0उपलब्ध कराना।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13.	बेसिक शिक्षा विभाग	–	बाढ़ क्षेत्र के स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देंगे तथा विद्यालयों को शरणालय के रूप में इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध करायेंगे।	–
14.	बाढ़ खण्ड	बन्धों का अनुश्रवण, आवश्यक सामग्री का पूर्व से भण्डारण, पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना।	बन्धे की सुरक्षा हेतु नियमित पेट्रोलिंग, नियमित जलस्तर एवं पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना।	क्षेतिग्रस्त बन्धे के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की व्यवस्था करना।
15.	विकास विभाग	–	–	आवासहीन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

आकाशीय बिजली

वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली से जन धन की हानि होती है। बज्रपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखी जायं–

1. आंधी आने के पहले टी0वी0, रेडियों, और कम्प्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
2. सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियां बन्द रखें। बिजली से चलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें।
3. टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को न छुएं। खाली पैर फर्श या जमीन पर न खड़े रहें।
4. जब किसी पर बिजली गिरती है तो वो जल नहीं जाता बल्कि उसके ह्रदय और श्वास नली पर असर होता है।
5. अगर आपके कपड़ें गीले हैं तो आप पर बज्रपात का उतना असर नहीं होगा क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जाएगा न कि शरीर से।
6. एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है।
7. बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी मकान का सहारा लें। मैदार में या पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रायः बिजली कोई आश्रण लेकर गिरती है।
8. बड़े मकानों/सरंचनाओं पर तड़ित चालक अवश्य लगवाया जाय।

अध्याय–9

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी आपदा

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा–कदा जन–धन की हानि होती रही है। किन्तु ओलावृष्टि, शीतलहरी से किसी बड़ी घटना का इतिहास इस जनपद का नहीं है। शीतलहरी का प्रकोप 15 नवम्बर के बाद शुरू होकर दिसम्बर व जनवरी माह में यदा–कदा रहता है। कभी–कभी वर्षा भी होती है जिससे ठण्ड बढ़ जाती है।

अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को ठण्ड से बचाव हेतु शासन के सहयोग से प्रशासन द्वारा निःशुल्क कम्बल वितरण कराया जाता है तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तहसीलदार/क्षेत्रीय लेखपाल आदि के सहयोग से अलाव जलाये जाते है।

क्या करें, क्या न करें–शीतलहर के दौरान या पहले

1. फावड़े, कूदालें, जलावन की लकड़ियां और पर्याप्त गर्म कपड़ों के साथ आपातकालीन किट तैयार रखें।
2. घर के अन्दर सुरक्षित रहें तथा स्थानीय रेडियो से मौसम की जानकारी लेते रहें।
3. शीतदंश के लक्षणों को पहचानें जैसे–हाथों एवं पैरों की उंगलियों, कानों, नाक आदि पर सफेल पीले दाग उभर आना। शीतदंश की स्थिति में शीघ्र अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जाकर इलाज करायें।
4. कोयले की अंगेठी/मिट्टी का चूल्हा/हीटर आदि प्रयोग करते समय सावधान रहें व कमरें को हवादार रखें ताकि जहरीले धुएँ से नुकसान न हो।
5. विषम परिस्थितियों अथवा अत्यधिक सर्दियों के लिए ईंधन बचाकर रखें।
6. शरीर को सूखा रखें, गीले कपड़े तुरन्त बदल लें यह आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
7. अपने परिवार को यथासम्भव घर के अन्दर सुरक्षित रखें।
8. घर में अलाव के साधन नहीं है तो अत्यधिक ठण्ड के दिनों में सामुदायिक केन्द्रों/स्थलों पर जायें जहाँ प्रशासन द्वारा अलाव का प्रबन्ध किया गया है।
9. कई स्तरों वाले गर्म कपड़े आपको शीतदंश और हाइपोथर्मियां से बचा सकते हैं।

अध्याय–10

चिकित्सीय आपदा

दुर्घटना में घायल अथवा आकस्मिक रुप से बीमार व्यक्ति को डॉक्टर अथवा एम्बुलेन्स के पहुंचने से पूर्व किया जाने वाला प्रारम्भिक उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है।

प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्यः–

किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा उसकी जीवन रक्षा हेतु व उसकी दशा और ज्यादा बिगड़ने से बचाने हेतु दी जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा कौन कर सकता हैः–

जिसे प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो, जो दूसरों की सहायता करने की भावना रखता हो, जो शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सकता हो, जो तनावयुक्त परिस्थितियों का सामना कर सकता हो। यह भी ध्यान रखे अत्यधिक उत्साह व तीव्र भावनात्मकता,प्राथमिक चिकित्सा में प्रद हानिकारक हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा देने के पूर्वः–

प्राथमिक उपचार करने के पूर्व निम्न जांच कर लेंः–

1. आपको कोई खतरा तो नहीं है।
2. दूसरे को कोई खतरा तो नहीं है।
3. रोगी को कोई खतरा तो नहीं है।
4. रोगी को होश है अथवा नहीं।
5. चारों ओर से वायु का प्रवेश हो रहा है या नहीं। साथ ही यह भी देख लें वायु शुद्व है या नहीं।
6. रोगी की छाती में हलचल हो रही है या नहीं। अर्थात् रोगी की धड़कन चल रही है या नहीं। क्या आप रोगी की श्वास को अपने गाल पर महसूस कर पारहे हैं।
7. रोगी की नाड़ी चल रही है या नहीं। क्या रोगी में जीवन के लक्षण दिख रहे हैं।

जल जाने या झुलस जाने पर प्राथमिक चिकित्साः–

1. यदि कपड़ो में आग पकड़ ले तो दौड़–भागें नहीं,बल्कि किसी दरी या कम्बल में शरीर को तब तक लपेटें जब तक आग बुझ न जाए।

2. यदि कपड़ो में आग पकड़ ले तो जमीन पर लोट लगाएं।
3. यदि त्वचा केवल लाल हो गई है तो उस भाग को ठण्डे पानी में 15 मिनट तक रखें या उस भाग पर पानी से अच्छी तरह भीगा हुआ कपड़ा 15 मिनट तक रखें।
4. यदि त्वचा जल गयी हो और फफोले पड़ गए हों तो फफोले मत फोड़िये, जल कर चिपके हुए कपड़ो को मत हटाइए और दवा मत लगाइए। जले हिस्से को चिपके हुए कपड़ो सहित दूसरे साफ कपड़े से ढक दें या पट्टी बांध दें।
5. जितना शीघ्र हो सके जले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें।

<u>सांप काटने का प्राथमिक उपचारः–</u>

1. सांप काटने पर कोमल रबर या साफ कपड़े से घाव के ऊपर का हिस्सा बांधिए। कटे हुए अंग को लटका कर रखें। बधें हुए कपड़े को हर 15 मिनट बाद एक मिनट के लिए ढीला करके फिर बांधें।
2. घावं का निरीक्षण करिए। यदि विषदंत के निशान नहीं हैं तो सांप विषैला नहीं है। यदि निशान हैं तो तुरन्त अस्पताल ले जाकर एण्टी–वेनम सिरम इंजेक्शन लगवाएं।
3. यदि व्यक्ति को अस्पताल ले जाना संभव नहीं है तो घाव को एंटीसेप्टिक या पोटैशियम परमैंगनेट से धुले चाकू या ब्लेड को गरम करके निर्जर्मित करें और घाव पर लगभग आधा इंच काटें। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो ठीक है, नही ंतो घाव से खून को खींचकर निकालें। खून के साथ विष भी खिंच आएगा। अब घाव पर दवा या फाहा रखकर पट्टी बांधें।

<u>बिच्छू काटने का प्राथमिक उपचारः–</u>

1. जिस स्थान पर डंक लगा हो और वहां दर्द हो रहा हो तो फफोले पड़ सकते हैं तथा पसीना और कंपकंपी हो सकती है। एंटीहिस्टामाइन मरहम,हल्का अमोनिया या सोडियम बाइकार्बोनेट का गाढ़ा घोल घाव पर लगाया जा सकता है।
2. पीड़ा होने पर डॉक्टर घाव पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा सकता हैं।
3. पीड़ित व्यक्ति को दो एस्प्रिन,गरम पेय के साथ दीजिए और उसके शरीर को गरम रखने की कोशिश करिए।

<u>हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचारः–</u>

1. यदि जरुरत न हो तो टूटे अंगों को हिलाएं नहीं।
2. स्पिलट या खपच्ची का प्रयोग करके टूटे अंग को शरीर से कसकर बांधिए।

3. पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए उचित वाहन तथा मजबूत स्ट्रेचर का प्रयोग करिए।
4. पैर की हड ्डी टूटने पर व्यक्ति को कंधे से सहारा देकर उपचार–केन्द्र तक पहुंचाने का प्रयास करें।

आंख में कोई वस्तु गिरने पर प्राथमिक उपचारः–

1. रोगी को आंख मलने से रोकिए।
2. रोगी की आंख पर पानी के छींटे मारिए।
3. यदि कोई वस्तु आंख में पड़ी दिखाईदे रही हो तो उसे साफ रुमाल या गीली रुई के फाहे से निकालने की कोशिश कीजिए।
4. यदि वस्तु बाहर न निकले तो आंखों पर पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाए।
5. यदि वस्तु पलक के नीचे है तो पलक को बालों से पकड़कर खींचिए व दूसरी पलक तक लाकर छोड़िए। इससे वस्तु अपने आप हट सकती है।
6. आंख को धूल,धुआ व धक्के से बचाकर रखें।

रक्तस्राव का प्राथमिक उपचारः–

1. सर्वप्रथम रक्तसाव वाले स्थान को किसी वस्तु के सहारे ऊंचा उठाएं।
2. रक्तसाव रोकने के लिए पट्टी या पतले रबर का प्रयोग करें।
3. रोगी का शरीर गरम रखने का प्रयास करें।
4. रोगी का शीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें।
5. यदि रोगी को रक्तस्राव के कारण बेहोशी आ रही हो तो उसे गरम चाय या दूध आवश्यकतानुसार देना चाहिए।

तेजाब पीने के बाद प्राथमिक उपचारः–

1. रोगी को उल्टी नहीं कराना चाहिए क्योंकि उल्टी कराने से आमाशय में छेद हो सकता है।
2. रोगी को ढीले वस्त्र पहनाएंगे।
3. रोगी को अधिक मात्रा में दूध,अण्डे की सफेदी,चावल का पानी आदि पीने को दीजिए।
4. रोगी के सूजे गले को गरम सेंक देंगे।

शॉक लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचारः–

किसी व्यक्ति को शॉक लगने के लक्षण निम्न हो सकते हैं।

- बहुत धीमी या बहुत तेज नाड़ी चलना
- ठण्डी, नम या चिपचिपी त्वचा
- उनींदापन या बेहोशी
- चेहरा होंठ या नाखून पीला पड़ना
- मिचली आना या कब्ज होना

क्या करेंः–

1. रोगी को गरम सतह पर लिटाएं और आराम करने दें।
2. तत्काल एम्बुलेंस बुलाएं।
3. एम्बुलेंस आने तक खून को बहने से रोकने की कोशिश करें।
4. रोगी के पैर लगभग एक फुट ऊपर उठाकर रखें।
5. रोगी के कपड़े ढीले कर दें।
6. प्यास लगने पर रोगी को पानी न दें,सिर्फ उससे होंठों को तर करें।
7. खुली हवा चारों ओर से आने दें।
8. आवश्यकता पड़ने पर रोगी को कृत्रिम सांस देना चाहिए।

अध्याय–11

मानवजनति आपदाओं का आशंका

मानवजनित आपदाओं में मुख्य रूप से रेल–बस व उद्योग कारखानें आदि के द्वारा सम्भावित दुर्घटनाएं यदा–कदा घटित हो जाती है।

1. **रेल दुर्घटना–**रेलवे में दुर्घटना होने पर दुर्घटना की गम्भीरता के अनुरूप स्थानीय रेलवे व सिविल अधिकारियों/कर्मचारियों को एवं मण्डल स्तर के रेल अधिकारियों को दुर्घटना होने, उसकी स्थिति एवं उससे निपटने में आवश्यक सहायता विवरण के साथ अवगत कराया जाता है। इस मण्डल फैजाबाद व लखनऊ स्टेशनों पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वाहन की व्यवस्था है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ उस स्तर की राहत गाड़ी/मेडिकल वाहन मण्डल प्रशासन द्वारा दुर्घटना स्थल पर भेजा जाता है। इस प्रकार यथाशीघ्र सामान्य संचालन चालू कराया जाता है। जनपद सुलतानपुर में रेलवे लाइन 105 किमी0 क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं हाल्ट सहित कुल स्टेशनों की संख्या वर्तमान समय में 11 है।
2. **बस दुर्घटना–**सड़क दुर्घटना के अन्तर्गत ट्रक, बस, जीप, कार, मोटर साईकिल की दुर्घटनाएं आती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जीपों के मालिक अपनी जीप ऐसे जीप चालकों के जिम्में सौंप देते हैं जिन्हें ड्राइविंग का कम अनुभव रहता है। जरूरी कागजात भी उनके पास उपलब्ध नहीं होते। उपसम्भागीय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। बहुधा यह देखा गया हैं कि मोटरसाइकिलों के चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं और जल्दबाजी में यातायात के नियमों का पालन नहीं करते जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है।

   बस दुर्घटनाएं भी काफी होती है इनकी गणना करना कठिन है। जबसे परिवहन विभाग द्वारा संविदा पर चालकों और बसों को अनुबन्धित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है तब से इस प्रकार की दुर्घटनाओं में वृद्धि की आशंका और बढ़ गयी है। चालक पूरी तरह दक्ष नहीं होते और बसों की हालत अच्छी नहीं होती। यद्यपि परिवहन विभाग इस दिशा में सजग जरूर रहता है। विभाग द्वारा दुर्घटना में घायल यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु पहुंचाया जाता है। यदि वाहन ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है तब उस स्थिति में वाहन में फंसे यात्रियों को निकालने के लिये डिपों स्तर से स्टोर ट्रक, आवश्यक टूल के साथ मैकेनिक भेजे जाते है, जो गैस कटर आदि का इस्तेमाल करके वाहन में फंसे यात्रियों को निकालते है। दुर्घटना में यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे नो फाल्ट लाइवेल्टी में तत्काल रूपया पचास हजार का भुगतान क्षेत्रीय स्तर से कराया जाता है। गम्भीर रूप से घायलों को रूपया बीस हजार तथा कम घायलों को पांच हजार रूपया तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। मेजर दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के घायल होने पर चालक/परिचालक/यात्री या अन्य व्यक्ति दुर्घटना की सूचना दूरभाष से 108 नम्बर तथा निगम की हेल्प लाइन संख्या 18001802877 पर दी जाती है।

3. **उद्योग धन्धों व कारखानों से जुड़ी दुर्घटनाएं–**यद्यपि इस जनपद में उद्योग धन्धों एवं कारखाने नाम मात्र के है। फिर भी प्रशासन के संज्ञान में इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी यदा–कदा आती रही है।

   धम्मौर बाजार में दिपावली के दौरान आतिशबाजी के सामान बनाने में बारूद में आग लग जाने एवं विस्फोट हो जाने से कुछ लोग हताहत हो गये और कुछ लोगों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े। यह उल्लेखनीय है कि उक्त आतिशबाजी निर्माण स्थल आबादी से दूर एकान्त में स्थित था और अग्निशमन यंत्र बालू आदि मौके पर मौजूद थे। फिर भी घटना के अचानक घटित होने के कारण मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा भी किसी प्रकार का बचाव नहीं किया जा सका।

4. **क्लोरिन सिलिण्डर आदि से होने वाली दुर्घटनाएं–**क्लोरिन सिलिण्डर से रिसाव होने की स्थिति में निम्न प्रकार से बचाव किया जा सकता है–

क्लोरिन सिलिण्डर से रिसाव होने की स्थिति में क्या करें ?

ऐसी स्थिति पैदा होने पर आतंकित न हो और शांत मन से परिस्थिति के अनुसार निम्न उपाय करें–

यदि सिलिण्डर जमीन पर रखा है–

1. हवा की दिशा देखें और विपरीत दिशा में खड़े होकर कार्य करें। जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा से सबको हटा दें।
2. यदि रिसाव बिन्दु से द्रव निकल रहा है तो सिलिण्डर को घुमाकर ऐसा करें कि केवल गैस ही निकलें।
3. यदि आस पास कोई ऐसी जगह है जहाँ आबादी न हो तो सिलिण्डर को लुढ़का कर वहाँ ले जाएं और ऐसा घमा कर रखें कि केवल गैस ही बाहर निकलें।
4. रिसाव बिन्दु पर खूब बुझा चूना डालकर ढंक दें। यदि चूना थोड़ा नम हो तो अधिक अच्छा है।
5. सिलिण्डर पर पानी कदापि न डालें।
6. स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर दें।

यदि सिलिण्डर ट्रक में है–

1. ट्रक को आबादी वाले स्थान से दूर ले जायें।
2. जिस ओर हवा द्वारा गैस का बहाव हो उस ओर से समस्त आबादी को हट जाने का अनुरोध करें।
3. सम्भव हो सकें तो रिसाव वाले सिलिण्डर की ओर बुझा हुआ चूना अच्छी तरह भर दें। यह चूना थोड़ा नम हो तो अधिक अच्छा है।
4. पानी कदापि न डालें।
5. आस पास यदि कोई क्लोरीन का उपयोग करने वाला हो तो उससे सहायता लें।
6. स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर दें।

यदि दुर्घटना किसी औद्योगिक संस्थान में हो–

1. सर्वप्रथम हवा की दिशा का ज्ञान करें।
2. हवा की दिशा की ओर व उसके विपरीत जाने का प्रयास कदापि न करें।
3. हवा की दिशा के दाएँ व बाएँ जाने का ही प्रयास करें। यदि आपके जाने की दिशा में गन्ध में तेजी आती जाएं तो उस दिशा में कदापि न जाएं बल्कि तुरन्त उल्टी दिशा में जाएं।
4. नाक पर गीला तौलियां या कोई अन्य मोटा वस्त्र रखकर नाक द्वारा ही धीरे–धीरे ही श्वांस लें। यदि उसे चूने के पानी में भिगा सकें तो अतिउत्तम है।
5. जब तक अति आवश्यक न हो भागने की कोशिश न करें।
6. ऐसे स्थान पर जाने की कोशिश करें जहाँ पर गंध बिल्कुल न आती हो। ऐसी जगह पूर्ण सुरक्षित है।

गैस से प्रभावित होने पर क्या करें ?

यदि अधिक प्रभावित हैं तो–

1. आँखें प्रभावित हो तो स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोयें।
2. खुली हवा में जहाँ गैस की गंध न आती हो तो सीधे लेटकर खूब श्वांस लें और विश्राम करें।
3. गुड़ व शहद का सेवन करें।

यदि अधिक प्रभावित हैं तो–

1. तुरन्त किसी डाक्टर व अस्पताल में परामर्श करें।
2. किसी डाक्टर के संरक्षण में किए जाने वाले कार्य–
   - अ– तुरन्त मेडिकल ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से देने का प्रयत्न करें।
   - ब– कोई भा खांसी का सिरप पिला दें तथा गले का दाह मिटाने के लिये चूसने वाली लासेन्जेस गोली मुँह में डाल दें।
   - स– सोडा बाई कार्ब के साथ कारमिनेटिव मिक्चर तथा चारकोल की गोली देने से पेट में गयी क्लोरीन उदासीन हो जाती है।
   - द– यदि श्वांस फूलना आरम्भ हो तथा श्वांस लेने में कठिनाई हो तो Bronchodilater (ब्रोंकोडिलेटर) के साथ Decadran (डोकाड्रान) तथा Calcium (कैल्शियम) देना चाहिए।

जनपद सुलतानपुर में गैस एजेन्सियों का विवरण

क्र0	गैस एजेन्सियों का नाम	गैस कम्पनी का नाम	फोन नम्बर
1.	मे0अमेठी गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.	9415137477
2.	मे0हिन्दुस्तान गैस एजेन्सी नगर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.	9415046189
3.	मे0सुलतानपुर गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.	9415046017
4.	मे0रूद्र गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.	9125914567
5.	मे0इण्डेन पुलिस लाइन गैस सर्विस, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	-
6.	मे0नारायन भारत गैस सर्विस कादीपुर, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.	9415137412
7.	मे0इण्डेन गैस सर्विस कूरेभार, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	9415056935
8.	मे0कमला इण्डेन गैस सर्विस कुड़वार, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	-
9.	मे0इण्डेन गैस सर्विस दोस्तपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	9839819245
10.	मे0शिवालय इण्डेन गैस सर्विस कोइरीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	9453646432
11.	मे0दिनेश एच.पी.ग्रामीण गैस वितरक जयसिंहपुर।	एच.पी.सी.	9918240271
12.	मे0मझवारा भारत गैस सर्विस प्रो.धीरेन्द्रराज सिंह।	बी.पी.सी.	9415056627
13.	मे0राकेश गैस सर्विस भारत गैस सर्विस सुलतानपुर।	बी.पी.सी.	9415627707
14.	मे0श्याम गैस सर्विस हलियापुर बल्दीराय, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.	9450487272
15.	मे0मालती गैस सर्विस राजेन्द्रनगर करौंदीकलां सुलतानपुर।	बी.पी.सी.	9450772042
16.	मे0इण्डेन गैस बरूआरीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.	-

जनपद में स्थित पेट्रोल पम्पों का विवरण

क्र0	पेट्रोल पम्प का नाम	कम्पनी का नाम
1.	मे0चाँदा फिलिंग स्टेशन चाँदा, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
2.	मे0सेनानी फिलिंग स्टेशन बरौंसा, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
3.	मे0सिंह एण्ड ब्रदर्स कादीपुर, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
4.	मे0सरजू प्रसाद महावीर प्रसाद सिविल लाइन, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
5.	मे0सेठ ब्रदर्स सिविल लाइन, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
6.	मे0कादीपुर फिलिंग स्टेशन कादीपुर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
7.	मे0सूर्या पेट्रोलियम चाँदा, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
8.	मे0हाजी शराफत उल्ला कमालुदीन अमहट, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
9.	मे0गौतम ऑटो सर्विस दोस्तपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
10.	मे0गोदावरी ऑटो मोबाइल अखण्डनगर, कादीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
11.	मे0बजरंग ऑटो मोबाइल्स पयागीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
12.	मे0शुक्ला तेल आपूर्ति केन्द्र लम्भुआ, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
13.	मे0सत्यम् पेट्रोलियम लक्ष्मनपुर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
14.	मे0शक्ति पेट्रोलियम पखरौली, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
15.	श्री नगेन्द्र कुमार सिंह गोलाघाट सिविल लाइन, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
16.	मे0कृष्ण ऑटो फिलिंग स्टेशन विकहर लम्भुआ, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
17.	मे0हर्षित ऑटो मोबाइल्स कूरेभार, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
18.	मे0इन्दिरा फिलिंग स्टेशन पन्नाटिकरी कामतागंज, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
19.	मे0आर0पी0 सर्विस स्टेशन बन्धुआकलां दूबेपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
20.	मे0एस0 ऑटोमोबाइल्स सिद्धिगनेशपुर कूरेभार, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
21.	मे0शहीदभान सिंह फिलिंग स्टेशन हसनपुर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
22.	मे0सूर्या पेट्रोलियम एडहॉक पांचोपीरन, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
23.	मे0सूर्या हाईबेज पाण्डेबाबा कादीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
24.	मे0सूर्या सर्विसेज कादीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
25.	मे0कमला फीलिंग स्टेशन (एड्हॉक) कटका बाजार, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
26.	मे0भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड इलाहाबाद अमहट, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
27.	मे0हाजी शराफत उल्ला कमालुद्दीन बाबूगंज, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
28.	मे0विजय फीलिंग स्टेशन कटघर मुतवही कादीपुर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
29.	मे0हनुमत हाईटेक फिलिंग सेन्टर चाँदपुर सैदोपट्टी बाईपास टंटियानगर।	आई.ओ.सी.
30.	मे0सरयू फिलिंग स्टेशन सोनावां, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
31.	मे0भारत भूषण मोबाइल्स पयागीपुर, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
32.	मे0सुनील किसान ऑटो मोबाइल्स देवलपुर कुड़वार, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.

क्र0	पेट्रोल पम्प का नाम	कम्पनी का नाम
33.	मे0आईडियल फिलिंग स्टेशन पारा पीढ़ी बाजार सदर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
34.	मे0गोल्डेन फिलिंग स्टेशन गोराबारिक अमहट, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
35.	मे0किसान सेवा केन्द्र कोरौ धनपतगंज, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
36.	मे0किसान सेवा केन्द्र गंगेव डोमनपुर जयसिंहपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
37.	मे0किसान सेवा केन्द्र राजापुर कुड़वार, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
38.	मे0राज फिलिंग स्टेशन रवनियां पूरब, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
39.	मे0अवध फिलिंग स्टेशन गभड़िया, सुलतानपुर।	एस्सार
40.	मे0अनन्या फिलिंग स्टेशन आमकोल, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
41.	मे0वीरूपाक्षा फिलिंग स्टेशन धम्मौर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
42.	मे0किसान सेवा केन्द्र देहुलाखोर अखण्डनगर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
43.	मे0उमाशंकर किसान सेवा केन्द्र राघवपुर कूरेभार, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
44.	मे0शिवालय फिलिंग स्टेशन मीरपुर प्रतापपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
45.	मे0कुंवर फिलिंग स्टेशन पयागपट्टी कुड़वार रोड सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
46.	मे0के0बी0एस0 पेट्रोलियम अमहट, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
47.	मे0त्रिलोकीनाथ पाठक फिलिंग स्टेशन बुढ़ाना कादीपुर, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
48.	मे0दुर्गा फिलिंग स्टेशन लोहरामऊ, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
49.	मे0प्रसाद फिलिंग स्टेशन मंगरावां, सुलतानपुर।	बी.पी.सी.
50.	मे0हाजी मकसूद फिलिंग स्टेशन आमकोल, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.
51.	मे0ठाकुर राज नारायण किसान सेवा केन्द्र हेमनापुर इसौली, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
52.	मे0कमला देवी ऑटोमोबाइल पयागीपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
53.	मे0अंकित पेट्रोलियम सौरमऊ, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
54.	मे0शहीद दिवाकर फिलिंग स्टेशन, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
55.	मे0उपाध्याय किसान सेवा केन्द्र शाहपुर, सुलतानपुर।	आई.ओ.सी.
56.	मे0युवराज एच0पी0इटकौली गोसाईगंज, सुलतानपुर।	एच.पी.सी.

जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण

क्र0	जनपद में स्थापित सी.एच.सी./पी.एच.सी. का नाम	सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर तैनात अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1.	दोस्तपुर	डा0 ह्रदय नारायण मौर्या	अधीक्षक	9450942597
2.	अखण्डनगर	डा0 सी.पी.शर्मा	अधीक्षक	9451774764
3.	कादीपुर	डा0 डी.के.सिंह	अधीक्षक	9415878056
4.	जयसिंहपुर	डा0 आर0के0कनौजिया	अधीक्षक	9450090474
5.	मोतिगरपुर	डा0 ए.एम.नजीब	अधीक्षक	9450143792
6.	कूरेभार	डा0 आर.ए.रत्नाकर	प्रभारी चिकित्साधिकारी	9919156455
7.	धनपतगंज	डा0 आनन्द किशोर	अधीक्षक	9415482744
8.	बल्दीराय	डा0 डी.पी.सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी	9453551182
9.	कुड़वार	डा0 आमीर अहमद	अधीक्षक	9450149637
10.	भदैंया	डा0 ए.पी.त्रिपाठी	अधीक्षक	9919741990
11.	लम्भुआ	डा0 लालजी	अधीक्षक	9415851145
12.	पी.पी.कमैचा	डा0 ए.एन.राय	अधीक्षक	9450050668
13.	दूबेपुर	डा0 ए.पी.त्रिपाठी	अधीक्षक	9919741990

जनपद में स्थिति नर्सिंग होम का विवरण

क्र0	जनपद में स्थापित हास्पिटल/नर्सिंग हो का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम के संचालक का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम का स्थान	मोबाइल नम्बर
1.	भगत हास्पिटल	श्रीमती मंजू भगत	कुड़वार नाका पार्वतीपुरम् सुलतानपुर।	05362–229028
2.	अमन हास्पिटल	श्री डा0सुहेल अहमद	गभड़िया, सुलतानपुर।	9415128000
3.	राहत हास्पिटल	श्री रफीउद्दीन	सेन्टर अखण्डनगर रोड बढ़ौली दोस्तपुर, सुलतानपुर।	9918329950
4.	रामकलप मिश्रा होम्योपैथिक चिकित्सालय	श्री रामकलप मिश्रा	बांगरखुर्द, कादीपुर, सुलतानपुर।	
5.	सुमन हास्पिटल	श्रीमती सुमन सिंह	गोमतीनगर, गोलाघाट, कस्बा सुलतानपुर।	9415046400
6.	लकी हास्पिटल	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव	कुड़वार रोड जी.आई. सी.फील्ड कुड़वार, सुलतानपुर।	9415185202
7.	गोमती हास्पिटल	श्रीमती पल्लवी वर्मा	गोमतीनगर पूर्व फैजाबाद रोड सुलतानपुर।	05362–241406
8.	अभयराज आयुर्वेदिक चिकित्सालय	श्री तीर्थराज सिंह	शम्भूगंज बाजार पो0 हड़हा, सुलतानपुर।	
9.	प्रभु श्रीकृष्ण मिशन अस्पताल एवं बी.पी.पी. मेमोरियल आयुर्वेदिक अनुसंधान सेन्टर	श्री डा0रामअवध	कूरेभार बाजार, सुलतानपुर।	
10.	धर्मा चिकित्सालय	श्री डा.आर.के.कनौजिया	प्यारेपट्टी रोड पौधशाला, सुलतानपुर।	9838001919
11.	संध्या हास्पिटल	श्री डा.रिक्रकेश मजुमदार	अखण्डनगर रोड दोस्तपुर, सुलतानपुर।	7897773555
12.	नवीन हास्पिटल	श्री रईस अहमद	1167/1 मो0जेल रोड गोराबारिक गभड़िया, सुलतानपुर।	9919057970
13.	आयुष्मान हास्पिटल	श्रीमती गरिमा सिंह	हा.नं.–1703 खैराबाद, सुलतानपुर।	7860002666
14.	गीता हास्पिटल	श्रीमती गीता सिंह	1248/5 नेहरूनगर दरियापुर, सुलतानपुर।	9415359111

क्र0	जनपद में स्थापित हास्पिटल/नर्सिंग हो का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम के संचालक का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम का स्थान	मोबाइल नम्बर
15.	हंसा हास्पिटल	श्री राजेश कुमार सिंह	1592 नवीपुर, सुलतानपुर।	9839129443
16.	जसलोक नर्सिंग होम	श्रीमती कंचन शुक्ला	नवीपुर, लोहरामऊ रोड सुलतानपुर।	9161363319
17.	नीरू हास्पिटल	श्री डा.के.पी.सिंह	स्टेशन रोड सुलतानपुर।	
18.	सनबीम आई हास्पिटल	श्री संजय सिंह	निकट बस स्टेशन, सुलतानपुर।	9838949860
19.	आशीर्वाद चिकित्सालय	डा. श्रीमती नीलिम भटनागर	1631 सिविल लाइन नम्बर 1 बढ़ैयावीर रोड सुलतानपुर।	05362–240632
20.	आशादीप हास्पिटल	श्री शशिभूषण शुक्ल	बरौंसा, सुलतानपुर।	9936505361
21.	आभा हास्पिटल	श्रीमती आभा सिंह	सिरवारा रोड इन्फून्ट ऑफ सरस्वती शिशु मन्दिर सिरवारा रोड, सुलतानपुर।	9696025613
22.	अदिति मैटरनिटी नर्सिंग होम	श्री डा. सरोज दूबे	1285 बढ़ैयावीर रोड सिविल लाइन सुलतानपुर।	9453023650
23.	करूणाश्रय हास्पिटल	डा. श्रीमती अर्चना प्रशासक	कलेक्ट्रेट के सामने सुलतानपुर।	9454047607
24.	शरण नर्सिंग होम	श्री डा. एम0शरण	प्राईवेट लिमिटेड इलाहाबाद रोड सुलतानपुर।	9415156027
25.	नवजीवन हास्पिटल	श्री डा.रमेश कुमार ओझा	इलाहाबाद रोड सुलतानपुर।	05362–227112
26.	आस्था हास्पिटल	श्रीमती मंजुला त्रिपाठी	एवं रिसर्च सेन्टर पांचोपीरन फैजाबाद रोड सुलतानपुर।	9415046034
27.	शिफा नर्सिंग होम	मो0जामिन खाँ	बहादुरपुर रोड गभड़िया सुलतानपुर।	9452705900
28.	सिटी नर्सिंग होम	श्री डा.आफताब अहमद	1170 इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर।	9415077346
29.	अवध नर्सिंग होम	श्री डा.इसराइल अहमद खाँ	गभड़िया, सुलतानपुर।	9839603094
30.	सरदार नर्सिंग होम	श्री डा.मकसूद अहमद	गभड़िया, सुलतानपुर।	9415046192

क्र0	जनपद में स्थापित हास्पिटल/नर्सिंग हो का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम के संचालक का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम का स्थान	मोबाइल नम्बर
31.	फरीदी नर्सिंग होम	श्रीमती परवीन फरीदी	इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर।	05362–240509
32.	मिश्रा हास्पिटल	श्री डा.संजय मिश्रा सुलतानपुर।	शाहगंज, सुलतानपुर।	7399461402
33.	प्रकाश नर्सिंग होम	श्री रामप्रकाश सिंह	पंत स्टेडियम के पास सिविल लाइन, सुलतानपुर।	9415046067
34.	स्वराज हास्पिटल	श्री डा.अखण्ड प्रताप सिंह	बस स्टेशन के निकट सिविल लाइन–1 सुलतानपुर।	
35.	शहर नर्सिंग होम	श्री डा.जीमल अहमद	गभड़िया, सुलतानपुर।	
36.	तुलसी हास्पिटल	श्री शीतला प्रसाद कसौंधन	1206 दरियापुर तिराहा इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर।	05362–241777
37.	नारायण हास्पिटल	श्री डा.सुनील कुमार मिश्रा	पयागीपुर, सुलतानपुर।	9415457633
38.	गौरव हास्पिटल	श्री सत्यनारायण सिंह	इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर।	
39.	रज्जाकी नर्सिंग होम	श्री डा.वीरेन्द्र प्रताप सिंह	अखण्डनगर रोड, सुलतानपुर।	8924961213
40.	श्री रघुवीर नर्सिंग होम	श्री डा.रूप सिंह राजपूत	748/1 पी.डब्लू.डी. रोड, सुलतानपुर।	
41.	इरम नर्सिंग होम	श्री डा.हामिद अली खां	ईदगाह प्यारेपट्टी रोड सुलतानपुर।	9450712890
42.	मदर टेरेसा मेमोरियल हास्पिटल	श्री डा.रामसुमेर	ग्राम पहाड़पुर बस्तीपुर (कामतागंज) दोस्तपुर, सुलतानपुर।	
43.	साकेत हास्पिटल	श्री पंकज तिवारी	चुनहा, सुलतानपुर।	9794955419
44.	आर.पी.नेत्र चिकित्सालय केन्द्र	श्रीमती दयावती वर्मा	रतनपुर टेढ़ई, सुलतानपुर।	05362–228400
45.	फायजा हास्पिटल	श्री डा.सादिक अली	नार्मल चौराहा तहसील सदर, सुलतानपुर।	9984249000
46.	कमला हास्पिटल	श्री डा.सी.बी.शुक्ला	बरौंसा, सुलतानपुर।	9450042813
47.	सुरम्या बाल चिकित्सा केन्द्र	श्रीमती नूतन सिंह	पंजाबी कालोनी खैराबाद, सुलतानपुर।	05362–227414
48.	न्यू लाइफ लाइन हास्पिटल	श्री डा.आर.के.सिंह	157 दरियापुर रोड, सुलतानपुर।	9415091617

क्र0	जनपद में स्थापित हास्पिटल/नर्सिंग हो का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम के संचालक का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम का स्थान	मोबाइल नम्बर
49.	लाइफ लाइन हास्पिटल	डा.सुरेन्द्र प्रताप सिंह	इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर।	9415136661
50.	संजीवनी नर्सिंग होम	श्री डा.सलिल कुमार श्रीवास्तव	968 लालडिग्गी सिविल लाइन, सुलतानपुर।	9415136663
51.	जीवनधारा हास्पिटल	डा0 श्रीमती सावित्री मिश्रा	गभड़िया, सुलतानपुर।	05362–231483
52.	न्यू वंदना हास्पिटल	श्रीमती वन्दना श्रीवासतव	वाराणसी रोड सुलतानपुर।	9415457967
53.	स्टार हास्पिटल	श्री मो0अख्तर	गोराबारिक गभड़िया, सुलतानपुर।	
54.	संजीवन हास्पिटल	श्रीमती रश्मि गोपालपुर	कादीपुर, सुलतानपुर।	9415878270
55.	सत्यम् शिवम् मंगलम् हास्पिटल	श्रीमती सीमा मौर्या	कनारा रोड धनपतगंज सुलतानपुर ।	8756484006
56.	रामप्रताप हास्पिटल	श्री अजीत कुमार तिवारी	वलीपुर, सुलतानपुर।	9721451265
57.	सिद्धार्थ हास्पिटल	श्री डा.मंगला प्रसाद श्रीवास्तव	दोस्तपुर रोड कादीपुर, सुलतानपुर।	9415879220
58.	या वारिस नर्सिंग होम	श्री महबूब अली	प्यारेपट्टी रोड सुलतानपुर।	9808719606
59.	राजश्री हास्पिटल	श्री डा.तिलकराज	फैजाबाद रोड कूरेभार सुलतानपुर।	9415063721
60.	ममता हास्पिटल	श्रीमती रजनी गुप्ता	इलाहाबाद रोड लखनऊ।	9919247005
61.	लालमनि हास्पिटल	श्रीमती लालमनि सिंह	कैलाशनगर सौरमऊ, सुलतानपुर।	9559410165
62.	बाबा बढ़ैयावीर चिल्ड्रेन हास्पिटल	श्री डा0अखिलानन्द सिंह	बढ़ैयावीर सिविल लाइन सुलतानपुर।	8765199577
63.	नवाज हास्पिटल	श्री डा.अल्लाह नेवाज	कृष्णानगर, सुलतानपुर।	9307714051
64.	गिरिजा आशीर्वादा हेल्थ केयर	श्री स्वागत पाण्डेय	हनुमानगंज बाजार, सुलतानपुर।	7800453573
65.	बी0पी0 हास्पिटल	श्री डा.बी0पी0सिंह	मुड़िलाडीह कादीपुर, सुलतानपुर।	9450712920

अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्रं0	पदनाम	दूरभाष नम्बर		
		कार्यालय	शासन से प्राप्त सी0यू0जी0 नम्बर	आवास
1.	जिलाधिकारी	240206	9454417542	240203
2.	पुलिस अधीक्षक	240301	9454400310	240302
3.	मुख्य विकास अधिकारी	240201	9454416195	240205
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी	240545	9935943170	240299
5.	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	240898	9454416176	240207
6.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	240751	9454417613	240364
7.	अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व)	223029	9454416177	
8.	उप संचालक चकबन्दी	221852		223731
9.	अपर पुलिस अधीक्षक	240001	9454401120	223080
10.	नगर मजिस्ट्रेट	240206	9454416178	240703
11.	उप जिलाधिकारी सदर	226166	9454416180	240393
12.	उप जिलाधिकारी कादीपुर	05364.232521	9454416181	232530
13.	उप जिलाधिकारी लम्भुआ	05364.257276	9454416185	
14.	उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर		9454416186	
15.	बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)	240297		
16.	जिला विकास अधिकारी		9454465344	
17.	परियोजना निदेशक		9454465343	
18.	तहसीलदार सदर	240243	9454416187	
19.	तहसीलदार कादीपुर	05364.232521	9454416188	
20.	तहसीलदार लम्भुआ	05364.257276	9454416192	
21.	तहसीलदार जयसिंहपुर		9454416193	
22.	क्षेत्राधिकारी लम्भुआ	240301	9454401403	227563
23.	क्षेत्राधिकारी नगर	240301	9454401402	221217
24.	क्षेत्राधिकारी कादीपुर	05364232537	9454401404	
25.	क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर		9454401930	
26.	प्रभारी निरीक्षक नगर	240304	9454044342	
27.	प्रभारी निरीक्षक कादीपुर	05364232523	9454404339	
28.	थानाध्यक्ष अखण्डनगर	05364249015	9454404326	
29.	थानाध्यक्ष दोस्तपुर	05364242535	9454404332	
30.	थानाध्यक्ष धम्मौर	05362255378	9454404331	
31.	थानाध्यक्ष गोसाईगंज	05362285132	9454404334	

क्रं0	पदनाम	दूरभाष नम्बर		
		कार्यालय	शासन से प्राप्त सी0यू0जी0 नम्बर	आवास
32.	थानाध्यक्ष जयसिंहपुर	05362258221	9454404337	
33.	थानाध्यक्ष हलियापुर	05361285068	9454404335	
34.	थानाध्यक्ष कूरेभार	05362266237	9454404345	
35.	थानाध्यक्ष कुड़वार	05362284255	9454404344	
36.	थानाध्यक्ष करौंदीकला	05364266252	9454404341	
37.	थानाध्यक्ष कोतवाली देहात	05362256272	9454404343	
38.	थानाध्यक्ष लम्भुआ	05364257224	9454404346	
39.	थानाध्यक्ष मोतिगरपुर	05364267409	9454404347	
40.	थानाध्यक्ष बल्दीराय	05361242104	9454404328	
41.	थानाध्यक्ष चाँदा	05364255203	9454404330	
42.	थानाध्यक्ष महिला		9454404771	
43.	वरिष्ठ कोषाधिकारी	240621		
44.	जिला पूर्ति अधिकारी	227505		
45.	जिला सूचना अधिकारी	240796		
46.	अग्निशमन	101		
47.	परियोजना निदेशक	240432		
48.	अधि0भि0 न0पा0परि0	240226	9935134930	240430
49.	अध्यक्ष जिला पंचायत	223119		240225
50.	उप निदेशक कृषि			240252
51.	अधि0अभि0प्रा0ख0लो0नि0वि0	240227		240268
52.	अधि0अभि0 उ0प्र0 जल निगम	240437	9473942716	
53.	अधि0अभि0 विद्युत वितरण खंड	240338	9415901570	240257
54.	विद्युत शिकायत कक्ष नगर		9415901582	
55.	अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड	240328		240232
56.	अधि0अभि0सिंचाई खण्ड–16 सम0अधि0 (बाढ)	240387	9984659555	
57.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	224309		
58.	अधि0अभि0नलकूप खण्ड–2	228604		240396
59.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी		9454418350	
60.	खण्ड विकास अधिकारी बल्दीराय		9454465345	
61.	खण्ड विकास अधिकारी धनपतगंज		9454465346	
62.	खण्ड विकास अधिकारी कूरेभार		9454465347	
63.	खण्ड विकास अधिकारी कुड़वार		9454465348	

64.	खण्ड विकास अधिकारी भदैंया		9454465349	
क्रं0	**पदनाम**	**दूरभाष नम्बर**		
		कार्यालय	**शासन से प्राप्त सी0यू0जी0 नम्बर**	**आवास**
65.	खण्ड विकास अधिकारी जयसिंहपुर		9454465350	
66.	खण्ड विकास अधिकारी दूबेपुर		9454465351	
67.	खण्ड विकास अधिकारी लम्भुआ		9454465352	
68.	खण्ड विकास अधिकारी पी.पी.कमैचा		9454465353	
69.	खण्ड विकास अधिकारी दोस्तपुर		9454465354	
70.	खण्ड विकास अधिकारी कादीपुर		9454465355	
71.	खण्ड विकास अधिकारी मोतिगरपुर		9454465356	
72.	खण्ड विकास अधिकारी अखण्डनगर		9454465357	
73.	खण्ड विकास अधिकारी करौंदीकला		9839873303	

मानचित्र जनपद सुलतानपुर